# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-50/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी

नगर पा लका परिषद, ऋ षकेष

जनपद- देहरादून

वषय : नगर पा लका परिषद, ऋ षकेष का वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे 11 प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 07 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 50/2017-18/ दिनांक : /011/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-2(अ) के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

## भाग-I

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एन.एस.चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अंकित बंसल, लेखापरीक्षक द्वारा श्री दीपक जोशी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक **28.02.2015** से **13.03.2015** तक संपादित की गयी थी। जिसमें माह **04/2003** से **03/2014** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **10.0 वर्ग कि.मी.**
(ii) जनसंख्या: **70,189 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)**
(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **20**
(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **13 बैठकें**
(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **07 समिति**
(vi) कर्मचारियों की संख्या: **34 (सफाई कर्मचारियों को छोडकर)**
(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **185**
(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**
(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:
(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:
(द) लाभार्थियों की संख्या:
(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय
(अ) सामान्य :
(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**
(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

**भाग-I. 2(ii)(अ)**

**कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, देहरादून को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण**

***समस्त धनराशि ( ) में***

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना (NP) | | गैर स्थापना (P) | | अवशेष | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | स्थापना (NP) | | गैर स्थापना (P) | |
| | स्थापना (NP) | गैर स्थापना (P) | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) | आधिक्य (+) | बचत (-) |
| **2014-15** | 13580296 | 0 | 102473908 | 87332047 | 17809000 | 12088000 | 0 | 28722157 | 0 | 5721000 |
| **2015-16** | 28722157 | 5721000 | 108570859 | 119615650 | 44976000 | 20498550 | 0 | 17677366 | 0 | 30198450 |
| **2016-17** | 17677366 | 30198450 | 105775947 | 101458609 | 32083714 | 35676946 | 0 | 21994704 | 0 | 26605218 |
| **कुल योग** | | | **316820714** | **308406306** | **94868714** | **68263496** | | | | |

**भाग-I. 2(ii)(अ)**

**कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, देहरादून का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण**

| क्र.सं. | मद का नाम | पूर्व वर्ष का अवशेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | कुल प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान व्यय | अन्तिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय वित्त आयोग | 0 | 15882000 | 15882000 | 10588000 | 5294000 |
| 2 | राज्य वित्त आयोग | 0 | 91421000 | 91421000 | 73180865 | 18240135 |
| 3 | अवस्थापना विकास निधि | 0 | 427000 | 427000 | 0 | 427000 |
| 4 | स्वच्छ भारत मिशन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | आई.ई.सी. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | अर्धकुम्भ मेला अनुदान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | एस.पी.सी.बी.-डस्टबिन क्रय हेतु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | चारधाम यात्रा अनुदान | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 |
| 9 | निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित) | 13580296 | 11052908 | 24633204 | 14151182 | 10482022 |
| | **कुल योग** | **13580296** | **120282908** | **133863204** | **99420047** | **34443157** |

| कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, देहरादून का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **मद का नाम** | **पूर्व वर्ष का अवशेष** | **वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ** | **कुल प्राप्तियाँ** | **वर्ष के दौरान व्यय** | **अन्तिम अवशेष** |
| 1 | केन्द्रीय वित्त आयोग | 5294000 | 15255000 | 20549000 | 6837000 | 13712000 |
| 2 | राज्य वित्त आयोग | 18240135 | 91421000 | 109661135 | 95430075 | 14231060 |
| 3 | अवस्थापना विकास निधि | 427000 | 0 | 427000 | 427000 | 0 |
| 4 | स्वच्छ भारत मिशन | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
| 5 | आई.ई.सी. | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |
| 6 | अर्धकुम्भ मेला अनुदान | 0 | 27846000 | 27846000 | 11409875 | 16436125 |
| 7 | एस.पी.सी.बी.-डस्टबिन क्रय हेतु | 0 | 300000 | 300000 | 299675 | 325 |
| 8 | चारधाम यात्रा अनुदान | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 |
| 9 | निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित) | 10482022 | 17149859 | 27631881 | 24185575 | 3446306 |
| | **कुल योग** | **34443157** | **153546859** | **187990016** | **140114200** | **47875816** |

**कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, देहरादून का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण**

| क्र.सं. | मद का नाम | पूर्व वर्ष का अवशेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ | कुल प्राप्तियाँ | वर्ष के दौरान व्यय | अन्तिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय वित्त आयोग | 13712000 | 24857000 | 38569000 | 13370434 | 25198566 |
| 2 | राज्य वित्त आयोग | 14231060 | 91421000 | 105652060 | 85689873 | 19962187 |
| 3 | अवस्थापना विकास निधि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | स्वच्छ भारत मिशन | 50000 | 160000 | 210000 | 154000 | 56000 |
| 5 | आई.ई.सी. | 0 | 25000 | 25000 | 10500 | 14500 |
| 6 | अर्धकुम्भ मेला अनुदान | 16436125 | 3933582 | 20369707 | 19073926 | 1295781 |
| 7 | एस.पी.सी.बी.-डस्टबिन क्रय हेतु | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 8 | चारधाम यात्रा अनुदान | 0 | 3108132 | 3108132 | 3068086 | 40046 |
| 9 | निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित) | 3446306 | 14354947 | 17801253 | 15768736 | 2032517 |
| | **कुल योग** | **47875816** | **137859661** | **185735477** | **137135555** | **48599922** |

---

**लेखाओं पर टिप्पणी:-**

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

(iii) इकाई द्वारा तुलन पत्र नहीं बनाया जा रहा है |

(iv) इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है |

| भाग-I. 2(ii)(स) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, देहरादून का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण | | | | | | |
| **वर्ष** | **योजना का नाम** | **पूर्व वर्ष का अवशेष** | **वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ** | **कुल प्राप्तियाँ** | **वर्ष के दौरान व्यय** | **अन्तिम अवशेष** |
| 2014-15 | केन्द्रीय वित्त आयोग | 0 | 15882000 | 15882000 | 10588000 | 5294000 |
| 2015-16 | केन्द्रीय वित्त आयोग | 5294000 | 15255000 | 20549000 | 6837000 | 13712000 |
| 2016-17 | केन्द्रीय वित्त आयोग | 13712000 | 24857000 | 38569000 | 13370434 | 25198566 |
| 2014-15 | स्वच्छ भारत मिशन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | स्वच्छ भारत मिशन | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
| 2016-17 | स्वच्छ भारत मिशन | 50000 | 160000 | 210000 | 154000 | 56000 |

## भाग दो 'अ'

**प्रस्तर 1: रू0 312.70 लाख मूल्य की क्रय पत्रावलियां एवं टेण्डर पत्रावलियां, रू0 148.92 लाख की लागत की 17 निर्माण पत्रावलियां तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना।**

**नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की कर्तब्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते अधिनियम 1971 की धारा 18(1)(ब) के अनुसार "to require that any accounts, books, papers and other documents which deal with or form the basis of or an otherwise relevant to the transactions to which his duties in respect of audit extend, shall be sent to such place as he may appoint for his inspection."**

कार्यालय नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा दिनांक 16.10.2017 से आरम्भ की गयी तथा लेखापरीक्षा के प्रथम दिवस से प्राथमिक सूचनाओं की मांग के साथ ही विगत तीन वर्षो में (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) क्रय की गयी सामग्रियों से सम्बन्धित निम्नलिखित क्रय पत्रावलियों एवं टेण्डर पत्रावली की मांग सम्बन्धित कर्मचारी एवं कार्यालय के लेखाकार से की गयी थी लेकिन इसके बावजूद निम्नलिखित से सम्बन्धित क्रय पत्रावली एवं टेण्डर पत्रावली लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा दल को जांच हेतु उपलब्ध नही करायी गयी थी। मांगे जाने वाले अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार था।

| क्र0सं0 | आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम | क्रय की गयी सामग्री का विवरण | मूल्य |
|---|---|---|---|
| **वर्ष 2014–15** | | | |
| 1. | संगम इण्टरप्राइजेज | एल0ई0डी0 इत्यादि क्रय | 5,74,000 |
| 2. | मितरा एण्ड ब्रदर्स | पथ प्रकाश सामग्री | 17,58,620 |
| 3. | निशा इण्टर प्राईजेज | कूड़ेदान | 8,33,440 |
| 4. | मैसर्स मित्तल ब्रदर्स | सोडियम बल्ब इत्यादि क्रय | 30,47,130 |
| | | बिजली वार इत्यादि | 22,68,950 |
| **योग 2014–15** | | | **84,82,140** |
| **वर्ष 2015–16** | | | |
| 1. | मित्तल एण्ड ब्रदर्स | सोडियम चीफ | 8,81,100 |
| | | एल0ई0डी0 इत्यादि | 27,35,105 |
| 2. | रमन इलेक्ट्रानिक्स | बिजली वायर इत्यादि | 6,18,400 |
| 3. | चन्द्रा आयरन | फावड़ा इत्यादि | 3,98,550 |
| 4. | मैसर्स निशा इण्टरप्राइजेज | बास की झाडु इत्यादि | 4,71,900 |
| 5. | | टाटा हाइड्रोलिक | 11,62,400 |
| 6. | मेसर्स एस0जे0एस0 मोटर्स | ट्रक एवं डम्पर | 23,00,000 |
| **योग 2015–16** | | | **85,67,455** |
| **वर्ष 2016–17** | | | |
| 1. | मेसर्स हाईड्रोमेन इण्डस्ट्रीज | डम्पर ट्रक | 16,01,000 |
| 2. | मेसर्स शिव शक्ति | सफाई उपकरण, मशीन क्रय | 17,20,000 |
| 3. | मूवीर इन्फ्रा | सफाई उपकरण मशीन क्रय | 51,00,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | मैसर्स रमन इलेकट्रानिक्स | पथ प्रकास हेतु समान | 3,97,250 |
| 5. | मैसर्स मित्तल एण्ड ब्रदर्स | पथ प्रकाश हेतु समान | 7,91,960 |
| 6. | मैसर्स मित्तल एण्ड ब्रदर्स | पथ प्रकाश सामग्री | 11,77,400 |
| 7. | मैसर्स रमन इलेकट्रानिक्स | पथ प्रकाश सामग्री | 15,36,000 |
| 8. | मैसर्स गणेश इलेक्ट्रानिक्स | पथ प्रकाश सामग्री | 5,59,300 |
| 9. | संगम इण्टरप्राईजेज | पथ प्रकाश सामग्री | 6,24,995 |
| 10. | सार्थ ट्रेडिंग | पथ प्रकाश सामग्री | 2,65,000 |
| 11. | एस0पी0 इण्टरप्राईजेज | पथ प्रकाश सामग्री | 4,47,900 |
| **योग 2016–17** | | | **1,42,20,805** |
| **कुल योग** | | | **3,12,70,400** |

उपरोक्त के अलावा विस्तृत जांच हेतु चयनित निर्माण कार्यो की रू0 148.92 लाख मूल्य की निम्नलिखित 17 पत्रावलियां भी जांच हेतु उपलब्ध नही करायी गयी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2014-15 | राज्य वित्त | श्रीदीपक कुमार (रिलाइन्स इन्फो) सी.सी.सड़क विकास कार्य | 2762000 |
| 2014-15 | राज्यवित्त | श्री दीपक कुमार विवेक आश्रम मणिरीप धाम तक विकास कार्य | 950143 |
| 2014-15 | राज्यवित्त | श्रीमती मोनिका गर्ग वार्ड नं. 09 में नाली व सड़क निर्माण | 877673 |
| 2014-15 | राज्यवित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 20 मनीराम मार्ग पर सड़क निर्माणकार्य | 855817 |
| 2014-15 | राज्यवित्त | श्री दीपक गोदवानी (वार्ड नं. 13) सोमे. नगर, गली नं. 01 - सी.सी.सड़क व नाली निर्माण | 761389 |
| 2014-15 | राज्यवित्त | श्री एन.एम.सिंह वार्ड नं. 08 गंगानगर विकास कार्य | 604605 |
| 2014-15 | राज्यवित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड 19, हनुमंतपुरम में गलियों की साइडपट्टी | 508785 |
| 2015-16 | राज्यवित्त | श्री बसंतलाल, जटिया बस्ती में कम्पाला से धर्मवीर श्री गोयल तकओमप्रकाश से मॉडर्न स्कूल | 968191 |
| 2015-16 | राज्यवित्त | श्री सुभाष रायजादा, वार्ड नं. 15, पीपल घाट में जल भराव की निकासीहेतु सी सी नाली व गेट निर्माण | 870153 |
| 2015-16 | राज्यवित्त | श्री रंगपाल, वार्ड नं. 03, सर्वहारा नगर, दुर्गा मन्दिर से पुलियाहोते हुए जॉनी के घर तक नाली | 638591 |
| 2016-17 | केन्द्रवित्त | गंगानगर गली नं. 09 एम.एन. गुप्ता के घर से R.P.S.तक भूमिगतनाला-III | 957141 |
| 2016-17 | केन्द्रवित्त | गंगानगर गली नं. 09 एम.एन. गुप्ता के घर से R.P.S.तक भूमिगतनाला-II | 879891 |
| 2016-17 | केन्द्रवित्त | गंगानगर गली नं. 09 एम.एन. गुप्ता के घर से R.P.S.तक भूमिगत नाला-I | 857045 |
| 2016-17 | केन्द्रवित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, चूना भट्टा से बनखंडी होते हुए शांति नगर तकनाला –II | 704911 |
| 2016-17 | राज्यवित्त | देहरादून तिराहे से पंजाब सिंध क्षेत्र तक भूमिगत नाली | 616380 |
| 2016-17 | राज्यवित्त | श्री सुभाष रायजादा, आस्था पथ की ओर सुरक्षा एवं सीढ़ी निर्माण | 547104 |
| 2016-17 | राज्यवित्त | श्री नरेन्द्र मोहन, वार्ड नं. -09 में विभिन्न स्थानों परक्षतिग्रस्त नालियों का निर्माण | 531816 |

तथा निम्नलिखित अभिलेख भी सम्प्रेक्षा को जांच हेतु उपलब्ध नही कराये गये।

| | |
|---|---|
| (i) | सफाई अनुभाग के कर्मचारियों की सूची, आगामी पाँच वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची, स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों की सूची \| |
| (ii) | सफाई कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ, व्यक्तिगत पत्रावलियाँ एवं अवकाश लेखे \| |
| (iii) | समस्त कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबन्धित अभिलेख \| |
| (iv) | नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेख \| |
| (v) | विद्युत एवं टेलीफोन बिलों से संबन्धित पत्रावली \| |
| (vi) | नगर पालिका में संविदा ठेके पर रखे गए कर्मचारियों से संबन्धित अभिलेख/\| |
| (vii) | सूचना के अधिकार से संबन्धित अभिलेख \| |
| (viii) | चल अचल संपत्ति से संबन्धित अभिलेख-\| |

अतः विगत तीन वर्षो में कुल रू0 312.70 लाख मूल्य के क्रय सामग्रियों से सम्बन्धित क्रय पत्रावली एवं टेण्डर पत्रावली तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित जांच हेतु चयनित रू0 148.92 लाख की लागत की 17 पत्रावलियां तथा अन्य अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत नही किया गया। जबकि सम्प्रेक्षा की कार्यवाही पूर्व सूचना के साथ समयबद्व होती है एवं अपेक्षित अभिलेखों का पूर्ण रूप से समय पर प्रस्तुत किया जाना इकाई का दाायित्व होता है। इस स्थिति में अभिलेख को पूर्ण रूप से समय पर प्रस्तुत न किया जाना सम्प्रेक्षा में इकाई के स्तर पर असहयोग का द्योतक है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर नगर पालिका परिषद द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सम्बन्धित कमचारी के बीमार होने के कारण उपरोक्त पत्रावलियों को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी लेखापरीक्षा के प्रथम दो दिवसों तथा अन्तिम दिवस में कार्यालय में मौजूद थे तथा सम्बन्धित कर्मचारी के कार्यालय में अनुपस्थित होने पर अन्य कर्मचारी द्वारा अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत कराये जा सकते थे। इस प्रकार कार्यालय द्वारा उपरोक्त रू0 312.70 लाख मूल्य के सामग्रियों एवं उपकरणों की क्रय पत्रावलियां एवं टेण्डर पत्रावलियां तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित जांच हेतु चयनित रू0 148.92 लाख की लागत की 17 पत्रावलियां तथा अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत न किया जाना जहा एंक ओर **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की कर्तब्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते अधिनियम 1971 की धारा 18(1)(ब)** की अवहेलना है वही दूसरी ओर उपरोक्त क्रय प्रक्रिया में किसी गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता है।

अतः रू0 312.70 लाख मूल्य की क्रय पत्रावलियां एवं टेण्डर पत्रावलियां एवं रू0 148.92 लाख की लागत की 17 निर्माण पत्रावलियां तथा अन्य अभिलेख सम्प्रेक्षा को जांच हेतु प्रस्तुत न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो अ

## प्रस्तर 2: ववादित स्थल पर कार्य के संपादित कराये जाने से रु लाख का निरर्थक व्यय

राज्य वत्त आयोगसे प्राप्त अनुदान से वत्तीय वर्ष 2014-15 मे नगर पा लका परिषद के क्षेत्रांतर्गत वार्ड संख्या 16 के वीरभद्र मार्ग, गली संख्या 4 में टाइल्स रोड, नाली मरम्मत तथा गली संख्या 6 में बंधे के कनारे पार्क, मूत्रालय निर्माण हेतु रु 11.15 लाख की लागत से कार्य योजना तैयार की गयी थी ( ) । गठित आगणन की स्वीकृति सहायक अ भयंता पी डब्लू डी द्वारा प्रदत्त थी । कार्य के सम्पादन हेतु नवम्बर- 2014 में नि वदा आमंत्रित कर कार्य का आवंटन कया गया था। कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा 3 माह थी।

नि वदा के नियम एवं शर्तों में उल्लि खत था क:

- नि वदा देने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण नि वदादाता द्वारा कए जाने की सलाह दी जाती है, इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- समस्त निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्यों की जांच कार्य प्रारम्भ करने से पहले अथवा कार्य के दौरान जो भी उपयुक्त हो, कसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ठेकेदार के व्यय पर की जाएगी।
- रायल्टी की दरे, आयकर, वा णज्यकर की कटौती व अन्य शासन द्वारा प्रच लत टैक्स नियमानुसार एवं भुगतान के समय प्रच लत दरों व जिला धकारी, देहरादून द्वारा निर्धारित दरों पर की जाएगी।

इकाई की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2017) में अ भलेखो की जांच में देखा गया क नि वदा सूचना के आधार पर प्राप्त तीन नि वदा प्रपत्रों पर कार्यवाही कर कार्य की आग णत लागत से 11.85 प्रतिशत कम पर कार्य का आवंटन कया गया था (दिसम्बर 2014)। आगे देखा गया क कार्य स्थल के गंगा तट से 200 मीटर के अंतर्गत होने के कारण हरिद्वार रुड़की वकास प्रा धकरण, हरिद्वार 28.01.2015 द्वारा कार्य को अवैध निर्माण मानते हुए आप त्त दर्ज की गयी थी (जनवरी 2015) तथा लखा गया था क कार्य स्थल के स्वा मत्व के संबंध मे व धक अ धकार सद्ध कए बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ न कया जाय। पुनः जनवरी 2015 मे उप जिला धकारी, ऋ षकेश द्वारा नगर पा लका परिषद को लखा गया था क कया जा रहा निर्माण कार्य अवैध है तथा इसे तत्काल हटाया जाय। इसके अनुक्रम मे नगर पा लका परिषद द्वारा ठेकेदार को निर्दे शत कया गया था क ववादित स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य न करें और कए हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दें ।

नगर पा लका परिषद के बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित कया गया था क वार्ड संख्या 16 गली नंबर 6 बीरभद्र रोड में निर्माणाधीन पार्क में ववाद हो जाने के कारण पार्क का निर्माण रुक गया है। इस कार्य

की शेष धनरा श से नाली मरम्मत एवं स्लैब निर्माण संबंधी अन्य कार्य जो आवास  वकास में प्रस्ता वत है संपादित करा दिया जाय।

पत्रावली के अवलोकन में देखा गया  क ठेकेदार को आवंटित कार्य के  वरुद्ध रु 9.66 लाख का कुल भुगतान  कया गया था ( सतम्बर 2015), इस आशय का उल्लेख पत्रावली में नहीं था  क ठेकेदार द्वारा कौन से कार्य संपादित कराये गए, जब क गली नंबर 6 में बांध के  कनारे पार्क एवं मूत्रालय निर्माण का कार्य स्थल  ववादित होने के कारण संपादित कार्य अवैध था, जिसके ध्वस्तिकरण के संबंध मे आदेश जारी  कया जा चुका था (फरवरी 2015)। ठेके के शर्त के अनुक्रम में कार्य में प्रयुक्त सामग्री की ठेकेदार द्वारा कोई जांच नहीं कराई गयी थी तथा कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्री पर रायल्टी की भी कटौती नहीं की गयी थी।

संप्रेक्षा मे इं गत  कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो की पुष्टि करते हुए बताया गया  क भ वष्य मे कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य स्थल का  ववाद रहित होना सुनिश्चित कराया जाएगा एवं रायल्टी की कटौती की जाएगी तथा कार्य मे प्रयुक्त सामग्री की जांच कराई जाएगी।

इस प्रकार इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि होती है अतः अवैध घो षत कार्य स्थल पर प्रस्ता वत कार्य के सापेक्ष  कतना कार्य संपादित कराया  गया  यह स्पस्ट नहीं हो सका तथा ठेकेदार को कार्य आवंटन के अनुसार पूर्ण भुगतान  कया गया। कार्य आवंटन / नि वदा की शर्त के अनुपालन में कार्य स्थल के निरीक्षण न  कए जाने से अवैध निर्माण संपादित हुआ, जिससे  ववादित स्थल पर कार्य के सम्पादन पर रु लाख का व्यय निरर्थक  सद्ध हुआ ।

## भाग II-'अ'

**प्रस्तर 3: निर्माण कार्यों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती न किए जाने के कारण शासन को `5,31,610/- के राजस्व की हानि |**

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए ।

नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान संलग्नक में लिखित **28** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`2,29,63,842/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों में प्रयुक्त नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री के स्वामित्व (रॉयल्टी) **`5,31,610/-** की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से रॉयल्टी की कोई भी कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि निर्माण कार्यों प्रयुक्त निर्माण सामग्री को नदी तल से प्राप्त किया गया है | इकाई ने आगे बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई तथा रॉयल्टी की धनराशि **`5,31,610/-** की संबन्धित ठेकेदारों के आगामी कार्यों के बिलों से कटौती करने के पश्चात राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों के समय ही सम्पूर्ण रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी | उपरोक्त के सम्बंध में यह अपेक्षित है कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान कराये गए अन्य निर्माण कार्यों के सापेक्ष रॉयल्टी की वसूली कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये |

अतः इकाई के निर्माण एवं लेखा विभाग की लापरवाही के कारण **`5,31,610/-** की रॉयल्टी की कटौती कर राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

| नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, जनपद-देहरादून द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान कराये गए निर्माण कार्यों के भुगतानों से रॉयल्टी की कटौती न किए जाने का विवरण | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रं.सं. | वित्तीय वर्ष | निधि का नाम | कार्य का नाम | व्यय धनराशि | माप पुस्तिका के अनुसार कार्य में प्रयुक्त किए गए उपखनिज की मात्रा (घन मी. में) | | | | | रॉयल्टी कटौती की दर (`प्रति घन मी. में`) | कार्य के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती जो की जानी थी | कार्य के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती जो की गई | अन्तर |
| | | | | | बालू | 20/40mm ग्रिट | बोल्डर | पत्थर | योग | | | | |
| 1 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार (रिलाइन्स इन्फो) सी.सी.सड़क विकास कार्य | 2762000 | 576.73 | 1153.47 | 0.00 | 0.00 | 1730.20 | 90 | 155718 | 0 | 155718 |
| 2 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार विवेक आश्रम मणिरीप धाम तक विकास कार्य | 950143 | 108.05 | 212.85 | 0.00 | 0.00 | 320.90 | 90 | 28881 | 0 | 28881 |
| 3 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, कुम्हारवाडा में सार्वजनिक शौचालय के पास नाली सुधार व पैच | 928647 | 70.11 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 152.60 | 90 | 13734 | 0 | 13734 |
| 4 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्रीमती मोनिका गर्ग वार्ड नं. 09 में नाली व सड़क निर्माण | 877673 | 93.79 | 150.89 | 0.00 | 0.00 | 244.68 | 90 | 22021 | 0 | 22021 |
| 5 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 20 मनीराम मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य | 855817 | 64.29 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 163.32 | 90 | 14699 | 0 | 14699 |
| 6 | 2014-15 | राज्य वित्त | अशोक आर्य वनखंडी में दयावन्ती निकेतन से नदी के घर तक सी सी सड़क व नाली निर्माण | 852833 | 91.14 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 237.76 | 90 | 21398 | 0 | 21398 |
| 7 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार पुष्कर मन्दिर भारत प्रिंटर्स नाली सुधार | 850446 | 60.18 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 113.24 | 90 | 10192 | 0 | 10192 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक गोदवानी (वार्ड नं. 13) सोमे. नगर, गली नं. 01 - सी.सी.सड़क व नाली निर्माण | 761389 | 57.19 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 145.28 | 90 | 13075 | 0 | 13075 |
| 9 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 19, 20 में सी सी सड़क व नाली निर्माण | 651500 | 48.93 | 75.37 | 0.00 | 0.00 | 124.30 | 90 | 11187 | 0 | 11187 |
| 10 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 17 सी.सी.सड़क व सुधार | 613198 | 46.07 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 117.03 | 90 | 10533 | 0 | 10533 |
| 11 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री एन.एम.सिंह वार्ड नं. 08 गंगानगर विकास कार्य | 604605 | 64.60 | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 134.55 | 90 | 12110 | 0 | 12110 |
| 12 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 13,14,15 में सी सी सड़क व नाली निर्माण | 557259 | 41.86 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 106.34 | 90 | 9571 | 0 | 9571 |
| 13 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड 19, हनुमंतपुरम में गलियों की साइड पट्टी | 508785 | 38.21 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 69.45 | 90 | 6251 | 0 | 6251 |
| 14 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्रीमती मोनिका गर्ग, सोमेश्वर मंदिर के नीचे से निरंकारी भवन होते हुए गुलाटी प्लाट के सामने नाला | 1003199 | 74.19 | 101.58 | 0.00 | 0.00 | 175.77 | 90 | 15819 | 0 | 15819 |
| 15 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, जटिया बस्ती में कम्पाला से धर्मवीर श्री गोयल तक ओमप्रकाश से मॉडर्न स्कूल | 968191 | 67.82 | 117.96 | 0.00 | 0.00 | 185.78 | 90 | 16720 | 0 | 16720 |
| 16 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री सुभाष रायजादा, वार्ड नं. 15, पीपल घाट में जल भराव की निकासी हेतु सी सी नाली व गेट निर्माण | 870153 | 66.09 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 180.86 | 90 | 16277 | 0 | 16277 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, चंदरेश्वर नगर में श्री पुंडीर से शमशान घाट तक नाली निर्माण | 786668 | 71.59 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 151.25 | 90 | 13613 | 0 | 13613 |
| 18 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्रीमती मोनिका गर्ग, बनखंडी गली नं. 01 में रॉयल बेकर्स वाली गली में नाली सुधार | 768902 | 42.69 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 107.69 | 90 | 9692 | 0 | 9692 |
| 19 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, वार्ड नं. 11, चंदरेश्वर नगर में सी सी सड़क व नाली निर्माण | 679678 | 66.51 | 123.20 | 0.00 | 0.00 | 189.71 | 90 | 17074 | 0 | 17074 |
| 20 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, वार्ड नं. 03, सर्वहारा नगर, दुर्गा मन्दिर से पुलिया होते हुए जॉनी के घर तक नाली | 638591 | 58.11 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 122.77 | 90 | 11049 | 0 | 11049 |
| 21 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री अशोक आर्य, वीरभद्र मार्ग गली नं.-04 में टाइल्स रोड, नाली मरम्मत व गली नं.-06 में बंधे के किनारे पार्क मूत्रालय | 513860 | 24.55 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 53.25 | 90 | 4793 | 0 | 4793 |
| 22 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, दुर्गा मन्दिर गली नं. 15, शिखर कॉम्प्लेक्स तक नाला निर्माण | 1118488 | 80.69 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 154.54 | 90 | 13909 | 0 | 13909 |
| 23 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री सुभाष सचदेवा, सुनील प्रोविज़न स्टोर नाला निर्माण | 831500 | 45.32 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 99.66 | 154 | 15348 | 0 | 15348 |
| 24 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, चूना भट्टा से बनखंडी होते हुए शांति नगर तक नाला -II | 704911 | 57.97 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 92.10 | 154 | 14183 | 0 | 14183 |
| 25 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | मै. वर्मा एसो. बंगाली मन्दिर मार्ग पर श्री बनारसी दास के घर से हरिद्वार मार्ग तक नाला निर्माण | 696570 | 46.45 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 98.51 | 154 | 15171 | 0 | 15171 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्री सुभाष रायजादा, आस्था पथ की ओर सुरक्षा एवं सीढ़ी निर्माण | 547104 | 19.82 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 154 | 4672 | 0 | 4672 |
| 27 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्री नरेन्द्र मोहन, वार्ड नं. - 09 में विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त नालियों का निर्माण | 531816 | 43.69 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 95.94 | 154 | 14775 | 0 | 14775 |
| 28 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, श्री भरत चौहान के घर से हेमन्त त्यागी के घर तक सड़क नाली निर्माण | 529916 | 43.86 | 80.46 | 0.00 | 0.00 | 124.32 | 154 | 19145 | 0 | 19145 |
| **कुल योग** | | | | **22963842** | **2170.5** | **3351.64** | **0** | **0** | **5522.14** | **2904** | **531610** | **0** | **531610** |

## भाग II-'अ'

**प्रस्तर 4: इकाई द्वारा शासनादेशों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के मौलिक सिद्धान्तों के विपरीत वाहनों के क्रय पर `37.55 लाख का अलाभकारी व्यय किया जाना |**

उत्तराखण्ड शासन (शहरी विकास अनुभाग-3) के पत्रांक संख्या 98(1)/IV-3/2016-04(116)/2015 दिनांकित 27 जनवरी 2016 के द्वारा नगरपालिका परिषद ऋषिकेश को अर्धकुम्भ मेला 2016 की मशीन एण्ड इक्यूप्मेंट मद में `117.46 लाख की धनराशि को व्यय करने की स्वीकृती निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गई थी कि:-

(i) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए 2008; तथा

(ii) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समयसमय पर निर्गत आदेशों-, वित्तीय हस्तपुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाए; तथा

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय-1 के नियम 3. अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त -13 के अनुसार **'वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगा'**:-

(i) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले,

(ii) व्यय प्रथम दृष्ट्या आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए |

नगरपालिका परिषद ऋषिकेश, जनपद-देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा अर्धकुम्भ मेला 2016 की मशीन एण्ड इक्यूप्मेंट मद की धनराशि से `37.55 लाख के व्ययोपरांत निम्नलिखित वाहनों का क्रय किया गया:-

| **क्रम संख्या** | **वाहन का नाम** | **वाहन के क्रय पर व्यय की गई धनराशि** | **वाहन के क्रय की तिथि** |
|---|---|---|---|
| 01. | S-450 BOBCAT SKID STEER LOADER | 23,25,000.00 | 16.03.2016 |
| 02. | Hydraulic Close Tipper | 14,30,000.00 | 07.03.2016 |
| | **Total** | **37,55,000.00** | |

आगे उपरोक्त वाहनों की लॉग बुकों की जाँच में यह पाया गया कि:-

(i) `23.25 लाख की लागत से क्रय की गई S-450 BOBCAT SKID STEER LOADER को वाहन की लॉग बुक के अनुसार वाहन के क्रय किए जाने के दिनांक से 26.10.2016 तक केवल 3 घंटे ही चलाया गया|

(ii) `14.30 लाख की लागत से क्रय किए गए Hydraulic Close Tipper को वाहन की लॉग बुक के अनुसार वाहन के क्रय किए जाने के दिनांक से 22.09.2016 तक केवल 30 किलोमीटर ही चलाया गया |

(iii) इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2017) तक उपरोक्त दोनों वाहनों का पंजीकरण भी नहीं कराया गया है |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि आवश्यकतानुसार ही वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वाहनों की लॉग बुकों से यह स्पष्ट था कि वाहनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जा रहा था जिससे यह स्पष्ट था कि वाहनों को क्रय करते समय वाहनों की आवश्यकता का सही आंकलन नहीं किया गया | इकाई द्वारा वाहनों की आवश्यकता का सही आंकलन न करने के कारण वाहनों के क्रय पर खर्च की गई धनराशि `37.55 लाख का नगरपालिका को समुचित प्रतिलाभ नहीं मिल रहा है |

अतः इकाई द्वारा शासनादेशों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के मौलिक सिद्धान्तों के विपरीत वाहनों के क्रय पर `37.55 लाख के अलाभकारी व्यय किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

## भाग दो 'अ'

**प्रस्तर 5: रू0 2,22,056 का निष्फल व्यय।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1905/IV-3/2015-04(110)/2015 दिनांक 30 नवम्बर 2015 के द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में नाला सफाई एवं मलवा निस्तारण की कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 9.48 लाख के सापेक्ष रू0 8.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद (न0पा0प0) द्वारा दिनांक 18.12. 2015 को निविदा प्रक्रिया अपनाकर उपरोक्त कार्य न्यूनतम दर के आधार पर (5 प्रतिशत कम दर पर) श्री रंगपाल सिंह, ठेकेदार को सौपा गया था। ठेकेदार द्वारा आबंटित कार्य के सापेक्ष निम्नानुसार कार्य किया गया।

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | नाले की लम्बाई जिसे साफ किया जाना था (मीटर में) | नाले की लम्बाई जिसे ठेकेदार द्वारा साफ किया गया (मीटर में) |
|---|---|---|---|
| 1. | लक्षमण झूला से धोबी घाट तक (नाला) | 600 | 546.20 |
| 2. | ओंकारानन्द आश्रम से भैरव मंदिर तक (दोनो तरफ नाली) | 700 | 90 |
| 3. | तिलक रोड से बंगाली मंदिर (नाली) | 160 | 30 |
| 4. | आवास विकास कालोनी से आई0टी0बी0पी0 (नाली) | 400 | 120 |
| 5. | आवास विकास कालोनी बीयर भद्रा वाली गली–6 (नाली) | 100 | 38 |
| 6. | आवास विकास कालोनी टावर वाली गली (नाली) | 350 | 150 |
| 7. | बड़ी सब्जी मण्डी से सर्वहारा ब्रिज तक (नाला) | 500 | 00 |
| 8. | सर्वहारा नगर (नाला) | 200 | 00 |
| 9. | गीता नगर गली नं0 1 (नाला) | 300 | 00 |
| **योग** | | **3310** | **974.20 (29 प्रतिशत)** |

सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कुल 3310 मीटर नाला सफाई के सापेक्ष मात्र 974.20 मीटर नाला सफाई एवं मलवा निस्तारण का कार्य किया गया तथा क्रम संख्या 7, 8 एवं 9 पर अंकित नाली सफाई एवं मलवा निस्तारण का बिलकुल कार्य नही किया गया एवं उपरोक्त कार्य के सापेक्ष ठेकेदार को कुल रू0 2,22,056 का भुगतान किया गया तथा ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य को बन्द कर दिया गया।

इस प्रकार एक ओर जहां अर्द्ध कुंभ मेला के दौरान नाला सफाई का उददेश्य पूर्ण नही हुआ वही दूसरी ओर स्वीकृत नाला सफाई एवं मलवा निस्तारण कार्य के सापेक्ष किसी भी कार्य को पूर्ण न किये जाने के कारण ठेकेदार को किया गया रू0 2,22,056 का व्यय निष्फल साबित हुआ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर नगर पालिका परिषद द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आगणन बिना सर्वेक्षण के तैयार किये गये थे, इस सम्बन्ध में ठेकेदार को नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर मान्य नही था क्योंकि नगर पालिका परिषद द्वारा ठेकेदार से स्वीकृत कार्य के सापेक्ष सम्पूर्ण कार्य कराया जाना चाहिये था तथा नाला सफाई एवं मलवा निस्तारण जैसे कार्य में यदि आधा अधूरा कार्य कराया जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है।

अतः रू0 2,22,056 के निष्फल व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो अ

प्रस्तर **6**: नगर पा लका अ धनियम -1916 के प्रावधानों के अनुक्रम मे इकाई द्वारा राजस्व वृद् ध हेतु प्रयास न कया जाना तथा वत्तीय वर्षो 2014-17 के दौरान इकाई की कुल प्राप्तियों मे मुख्य करों (स्वयं के राजस्व) की प्रतिशत हिस्सेदारी का नगण्य होना।

उत्तर प्रदेश नगरपा लका अ धनियम 1916 की धारा 128 में प्रावधानित है क नगर पा लका निम्न कर आरो पत करेगी :

(एक)भवन या भू म या दोनों के वा र्षक मूल्य पर कर

(2) उपधारा (1) में वनिर्दिष्ट करो के अतिरिक्त नगर पा लका इस अ धनियम के प्रयोजनों के लए और उनके उपबंधो के अधीन रहते हुए निम्न में से कोई कर अ धरो पत कर सकती है, अर्थात

(एक)ऐसे व्यापार और आजी वका पर कर, जो नगर पा लका क सीमाओ के भीतर कए जाते हो

(दो)ऐसे व्यापार , आजी वका और व्यवसाय पर कर जिनमे ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मि लत है जो वेतन या फीस के रूप मे पारिश्र मक दिया जाता है

(सात) वज्ञापनो पर कर

नगर पा लका परिषद, ऋ षकेश के वत्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के आय ववरणो के अवलोकन में देखा गया क व भन्न मुख्य करो/ शुल्को से संबन्धित प्राप्तियों का ववरण निम्न था:

*(रु लाख में)*

| क्रमांक | ववरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भवन कर (संप त्त कर) आवासीय | 58.97 | 65.45 | 44.87 |
| 2. | भवन कर (संप त्त कर) व्यवसायिक | 0.24 | 0.84 | 1.32 |
| 3. | पा र्कंग | 6.29 | 21.50 | 17.08 |
| 4. | वज्ञापन | 1.03 | 0.20 | 7.07 |
| 5. | तहबज़ारी | 10.44 | 10.56 | 9.27 |
| | योग: | 76.97 | 98.55 | 79.61 |

भवन कर (संप त्त कर):

उत्तर प्रदेश नगर पा लका अ धनियम -1916 की धारा 140-45 में व भन्न प्र क्रयाओ का उल्लेख है जिसके अनुसार नगर पा लका या इस नि मत्त उसके द्वारा प्रा धकृत कार्यपालक अ धकारी, नगर

पा लका क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में वहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय समय पर कराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार कराएगा।

आवासीय भवनो के कर के आरोपण हेतु पंचवर्षीय वर्ष 2009-14 हेतु सर्वे का कार्य बाहर की इकाई द्वारा कराया गया था तथा उसके आधार पर भवन कर का आरोपण कया जा रहा था। वर्ष 2017-18 हेतु एवं वगत वर्षो में संप त्त कर के संबंध मे कोई माँग का निर्धारण नहीं कया गया था। वर्ष 2009-14 के सर्वे के उपरांत नव नि र्मत भवनो का कोई सर्वे कार्य नहीं कराया गया था तथा बिना कसी समु चत नियोजन के भवन कर आरो पत कया जा रहा था

व्यवसायिक भवनो पर भी सामान्य आवासीय भवन के दर पर ही कर का आरोपण कया जा रहा था तथा व्यावसायिक भवनो के सर्वे के संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, इस संबंध मे जून 2017 में एक कार्यालय आदेश जारी कर व्यवसायिक संप त्त के निर्धारण एवं उस पर कर के आरोपण हेतु कार्यवाही प्रस्ता वत की गयी थी।

इस प्रकार इकाई संप त्त कर के रूप मे एक बड़े कर के आरोपण एवं उसके वसूली से वं चत था।

पा र्कंग स्थल के ठेके :

उत्तर प्रदेश नगर पा लका अ धनियम -1916 की धारा128 (2) की उपधारा (1) (एक) के अनुपालन मे पा र्कंग स्थल से वसूली के संबंध मे सम्यक रूप से ठेके आदि के क्रयान्वयन से राजस्व वृद् ध हेतु कार्यवाही अपे क्षत थी।

अ भलेखो की जांच में देखा गया क इस संबंध में लेखा परीक्षा अव ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी थी तथा पा र्कंग स्थल से इकाई की आय अत्यल्प थी।

वज्ञापन व हो र्डंग्स से आय:

उत्तर प्रदेश नगर पा लका अ धनियम -1916 की धारा 128 (2) (1) (सात) के अनुसार इकाई द्वारा वज्ञापनो पर कर , जो समाचार पत्रो मे प्रका शत वज्ञापन न हो आरो पत कया जाना अपे क्षत था।

इकाई के अ भलेखो की जांच मे देखा गया क वत्तीय वर्ष 2016-17 मे 10 वेंडरो द्वारा कुल 64 वज्ञापन हो र्डंग्स से कर/शुल्क की वसूली की जा रही थी तथा वर्ष के दौरान कुल वसूली रु 7.07 लाख थी जब क 2015-16 के दौरान यह वसूली मात्र रु 0.20 लाख थी जो क नगण्य थी इस प्रकार स्पस्ट था क वज्ञापन/ हो र्डंग्स से वसूली के संबंध मे इकाई द्वारा प्रभावी प्रयास नहीं कए गए थे। इस संबंध मे अपे क्षत था क ठोस प्रयास के द्वारा वज्ञापन स्थलों का निर्धारण कर तथा इस संबंध मे नगर पा लका परिषद, ऋ षकेश द्वारा जून 2012 मे कए गए गज़ट नोटि फ़केशन के दरों का अनुपालन करते

हुए एवं उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली का अनुपालन कर प्रतिस्पर्धी ठेके के माध्यम से वज्ञापन/होडिंग्स कर के रूप में वसूली बढ़ाई जाए जिससे स्वयं के राजस्व मे वृद् ध हो सके।

स्पस्ट था क इकाई इस संबंध मे जारी गज़ट नोटि फ़केशन की प्रभा वता एवं उत्तराखंड अ धप्रप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों का अनुपालन न कए जाने के कारण वज्ञापन कर / होडिंग से वसूली के रूप मे एक बड़े राजस्व से वं चत थी।

तहबज़ारी:

उत्तर प्रदेश नगर पा लका अ धनियम -1916 की धारा128 (2) (1) (एक)के अनुसार नगर पा लका की सीमा के भीतर कए जाने वाले व्यापार एवं आजी वका पर कर आरो पत कया जाना अपे क्षत था।

इकाई के अ भलेखो की जांच मे देखा गया क इस प्रावधान के अनुपालन मे तहबाज़ारी , धा र्मक स्थल होने के कारण वषेसतया फूलो क बिक्री (फूल फरोशी) संबन्धित संगठित ठेको के माध्यम से राजस्व वृद् ध हेतु इकाई द्वारा ठोस प्रयास नहीं कए जा रहे थे। वत्तीय वर्ष 2016-17 मे तहबाजरी से होने वाली आय पूर्व के वर्षो मे हुई आय क तुलना मे कम थी, जिसका कोई कारण पत्रावली में उल्लि खत नहीं था।

इस प्रकार स्पस्ट था क इकाई द्वारा करो एवं शुल्को के माध्यम से स्वयं के राजस्व में वृद् ध कए जाने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं कया जा रहा था भवन कर आरोपण हेतु भवनो के सर्वे आदि की कार्यवाही कर मांग पत्र प्रस्तुत करने / व्यावसायिक भवनो पर करो के आरो पत कए जाने , पा र्कंग/तहबाजरी/फूल फरोशी/वज्ञापनो आदि के ठेके के संबंध मे अ धप्रप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गयी थी जिससे स्वयं के राजस्व मे वृद् ध की जा सके। वत्तीय वर्षो 2014-17 के दौरान इकाई की कुल प्राप्तियों मे उपरोक्त मुख्य करों (स्वयं के राजस्व) की प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः 6.39, 6.42 एवं 5.77 थी जो क नगण्य थी स्पस्ट था क इकाई शासकीय अनुदानों/ऋणों पर पूर्णतया आ श्रत था।

लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क जन वरोध के कारण पा र्कंग स्थल, तहबजारी एवं वज्ञापनो के ठेके नहीं कए जा सके है। व्यावसायिक भवनो पर कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क नगर पा लका अ धनियम -1916 के प्रावधानों के अनुक्रम मे इकाई द्वारा राजस्व वृद् ध हेतु प्रयास नहीं कए गए थे तथा वत्तीय वर्षो 2014-17 के दौरान इकाई की कुल प्राप्तियों मे उपरोक्त मुख्य करों (स्वयं के राजस्व) की प्रतिशत हिस्सेदारीनगण्य थी।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो अ

प्रस्तर **7**: कार्य स्थल का समु चत सर्वेक्षण कये बिना आगणन गठित कए जाने से कार्य की लागत मे रु 26.98 लाख की वृद् ध तथा सक्षम अ धकारी से गठित आगणन की स्वीकृति का न लया जाना

उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम 13 (1) में प्रावधानित है, क रु 25 लाख अथवा उससे अ धक की अनुमानित लागत की सामग्री की अ धप्राप्ति के लए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रो में वज्ञापन द्वारा नि वदा आमंत्रित की जाए।

नियमावली के नियम 13 (2) के अनुसार नि वदा पृच्छा राज्य सरकार / वभाग की वेब साइट पर प्रद र्शत की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना वज्ञान केंद्र की वेब साइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

नगर क्षेत्र ऋ षकेश मे रिलायंस जियो इन्फो ल मटेड द्वारा केबल बिछाने हेतु तोड़ी गयी सी॰ सी॰ सड़क के सुधार कार्य हेतु रु 46.65 लाख के गठित आगणन पर सहायक अ भयंता द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा कार्य के आवंटन हेतु एक स्थानीय समाचार पत्र[1] में नि वदा सूचना प्रका शत कर,प्राप्त चार कोटेशनों के आधार पर वभागीय दर से 2.9 प्रतिशत कम पर कार्य का आवंटन कया गया था (फरवरी 2014)।

अ भलेखों की जांच में देखा गया क कार्य के आवंटन के सात माह के उपरांत बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित कया गया था, क रिलायंस जियो इन्फोकोम प्रा॰ ल मटेड द्वारा केबल डालने हेतु की गयी रोड कटिंग मरम्मत हेतु रिलायंस इन्फो प्रा॰ ल मटेड द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप मे उपलब्ध कराई गयी (दिसंबर 2014 )धनरा श रु 83.44 लाख के सापेक्ष सड़कों की मरम्मत हेतु प्रस्ता वत कार्य का आगरण कार्य की न्यूनतम नि वदा स्वीकृत करने एवं जनता की मांग पर सड़कों की मरम्मत हेतु कए गए भन्नता रु 73.63 लाख वास्ते कार्योत्तर स्वीकृति पारित की गयी थी। रिलायंस इन्फो ल मटेड द्वारा सड़क की कटाई से संबन्धित एवं उसकी क्षतिपूर्ति के निर्धारण संबंधी पत्रावली उपलब्ध नहीं हो सकी जिससे प्रस्ता वत कार्य एवं उसकी उपयुक्तता संबंधी जांच नहीं की जा सकी।

---

[1]अजीत समाचार

इकाई द्वारा अक्टूबर 2014 में निदेशक, स्थानीय नि ध लेखा परीक्षा वभाग एवं कोषागार सेवाए, को प्रे षत पत्र के अनुसार रिलायंस इन्फो से प्राप्त धनरा श रु 83.44 लाख के सापेक्ष रु 42.94 लाख का भुगतान संबन्धित ठेकेदार को कया जा चुका है, और शेष धनरा श (रु 83.40 लाख - रु 42.94 लाख = रु 40.46 लाख ) के सापेक्ष रु 28.53 लाख का भुगतान राज्य वत्त आयोगनि ध से स्वीकृत कार्य मे कया गया है।

इस प्रकार कार्य के आवंटन एवं क्रयान्वयन में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी:

(i) कार्य के संबंध मे गठित आगरण रु 46.65 लाख की स्वीकृति सहायक अ भयंता द्वारा दी गयी थी, जब क इस सीमा तक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति अ धशासी अ भयंता द्वारा ली जानी अपे क्षत थी।

(ii) उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली- 2008 के प्रावधानों के वरुद्ध नि वदा सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र मे हुआ था, स्पस्ट था क कार्य के गुणवत्ता पूर्ण सम्पादन हेतु तथा प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने हेतु नियम के अनुपालन नहीं कए गए थे।

(iii) प्रस्तुत नि वदा सूचनाए अदिनां कत थी एवं उनके खोलने की ति थ का भी स्पस्ट उल्लेख नहीं था।

(iv) स्वीकृत कार्य के वरुद्ध संपादित कार्य की मात्रा मे भन्नता के कारण कार्य की लागत मे 58 प्रतिशत की वृद् ध हुई जिसका कोई आगरण गठित कर अपे क्षत स्वीकृति नहीं ली गयी थी तथा इस वृद् ध के उपरांत कुल संपादित कार्य के भन्नता ववरण (variation statement) को सहायक अ भयंता द्वारा ही स्वीकृत कया था, जो क उपयुक्त नहीं था।

(v) रिलायंस इन्फो ल मटेड प्रा ल, द्वारा सड़क के कार्य हेतु जमा की गयी धनरा श मे से रु 40.50 लाख का व्यावर्तन कर उसे सं वदा क र्मयों के वेतन पर (रु 11.97 लाख) एवं राज्य वत्त से संपादित कए गए कार्यों के भुगतान पर (रु 28.53 लाख) व्यय कया गया था। इससे स्पस्ट था, क इकाई मे वत्तीय अनुशासन संबंधी आंतरिक नियंत्रण की कमी थी।

(vi) कार्य के सम्पादन के उपरांत कार्य मे आने वाले टूट- फुट के मरम्मत संबंधी अव ध (defect liability period)का निर्धारण अपे क्षत अव ध हेतु नहीं कया गया था, इसे मात्र 6 माह की अव ध के उपरांत ही जमानत रा श वापस कर दी गयी थी, जो क नियमानुकूल नहीं था।

उक्त से स्पस्ट था क नगर क्षेत्र ऋ षकेश में रिलायंस जियो इन्फो प्रा ल मटेड द्वारा केबल बिछाने हेतु तोड़ी गयी सी॰ सी॰ सड़क के सुधार कार्य हेतु रिलायंस से प्राप्त रु 83.40 लाख के सापेक्ष, सम्यक सर्वेक्षण के बिना त्रुटिपूर्ण आगरण गठित कया गया तथा गठित आगरण एवं कार्य की लागत में 58 प्रतिशत की हुई वृद् ध की सम्यक स्वीकृति नहीं ली गयी थी तथा प्राप्त क्षतिपूर्ति रा श मे से रु 40.50 लाख का व्यावर्तन कया गया था।

लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया क कार्य स्थल का समु चत सर्वेक्षण न कए जाने के कारण कार्य की लागत मे भन्नता हुई है, भ वष्य मे कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अ धकारी द्वारा ली जाएगी। रिलायंस इन्फो ल मटेड द्वारा सड़क की कटाई से संबन्धित एवं उसकी क्षतिपूर्ति के निर्धारण संबंधी पत्रावली के संबंध मे इकाई द्वारा बताया गया क पत्रावली उपलब्ध नहीं है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उपरोक्त निर्माण कार्य से पूर्व कार्य स्थल का समु चत सर्वेक्षण कर आगणन गठित कया जाना एवं सक्षम अ धकारी से गठित आगणन की स्वीकृति ली जानी अपे क्षत थी तथा कार्य वशेस हेतु प्राप्त धनरा श का व्यावर्तन कर अन्य मदों पर व्यय कया जाना त्रुटिपूर्ण था।

अतः कार्य स्थल का समु चत सर्वेक्षण कये बिना आगणन गठित कए जाने से कार्य की लागत मे वृद् ध, सक्षम अ धकारी से गठित आगणन की स्वीकृति का न लया जाना एवं महत्वपूर्ण अ भलेख के प्रस्तुत न कए जाने का तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग II-'अ'**

**प्रस्तर 8: इकाई की रोकड़ बही के अन्तशेष `4,85,99,922/- का बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि के अन्तशेष के साथ मिलान न होना तथा लेखा विभाग द्वारा बोर्ड के समक्ष त्रुटिपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण किया जाना |**

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 99(1) के अनुसार नगरपालिका आगामी मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक ओर प्रत्याशित प्राप्तियों ओर व्यय का पूर्ण लेखा तैयार कराएगी ओर नगरपालिका की आय ओर व्यय के बजट प्राकलन के साथ उसे बैठक में रखवाएगी | इस कार्य को नगरपालिका के लेखा विभाग द्वारा संपादित कराया जाना अपेक्षित होता है | National Municipal Accounts Manual (NMAM) के पैरा 30.5 के अनुसार शहरी निकाय द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरण बनाया जाना चाहिए ताकि रोकड़ बही में दर्ज धनराशि का बैंक में उपलब्ध धनराशि के साथ मिलान किया जा सके |

नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, जनपद-देहरादून की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है | इकाई की रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2017 को **`4,85,99,922/-** की धनराशि अवशेष दर्शायी गई थी जबकि इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खातों की पास बुकों की जांच में इकाई के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2017 को **`5,22,42,794/-** की धनराशि अवशेष पाई गई | इस प्रकार इकाई के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2017 को **`36,42,872/-** की धनराशि अधिक पाई गई |

आगे जाँच में पाया गया कि लेखा मिलान न होने एवं रोकड़ बही तथा बैंक लेखे में भिन्नता के कारण संकलित वित्तीय विवरण त्रुटिपूर्ण था जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा विभाग द्वारा बोर्ड के समक्ष बैठक में रखा गया |

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा:-

(i) रोकड़ बही में माह के अन्त में मासिक आय तथा मासिक व्यय का विवरण नहीं बनाया जा रहा है |

(ii) रोकड़ बही के बीच में वित्तीय नियमों के विपरीत खाली पृष्ठ छोड़े जा रहे हैं जिनका दुरुपयोग किए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है |

(iii) रोकड़ बही में बहुत अधिक काँट-छांट की जा रही है तथा इसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं कराया जा रहा है |

बैंक में उपलब्ध **`36,42,872/-** की अधिक धनराशि के बारे में पूछे जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि इकाई द्वारा 2014-15 से 2016-17 के दौरान कोई भी बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया है | इकाई ने आगे बताया कि अनभुने चेकों की छंटनी न किए जाने के कारण बैंक में अधिक धनराशि उपलब्ध है | इकाई ने आगे बताया कि भविष्य में वित्तीय नियमों का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाएगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा बैंक में उपलब्ध **`36,42,872/-** की अधिक धनराशि का कारण अनभुने चेकों को बताया गया परन्तु अनभुने चेकों का कोई भी विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया | इकाई द्वारा वित्तीय नियमों का निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है | इकाई के लेखा विभाग द्वारा बोर्ड के समक्ष भी त्रुटिपूर्ण वित्तीय विवरण उपलब्ध कराया गया | इकाई द्वारा 2014-15 से 2016-17 के दौरान कोई भी बैंक समाधान विवरण न बनाया जाना इकाई के आन्तरिक नियन्त्रण में कमी को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है |

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

## भाग दो 'अ'

**प्रस्तर 9: रू0 328.56 लाख मूल्य के एक ही प्रकृति के निर्माण कार्यो को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित कर कराया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के मौलिक सिद्वान्त के बिन्दु 10 के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिये यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जायें। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिये आवश्यक मात्रा को विभाजित नही किया जायेगा और न ही कुल आवश्यक्ता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृत प्राप्त करने की आवश्यक्ता से बचने के लिये छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश (न0पा0प0) के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 द्वारा विगत तीन वर्षो में (2014–15, 2015–16 एवं 2016–16) राज्य वित्त एवं 14वे वित्त की धनराशि से निम्नलिखित मूल्य के सड़क/सी0सी0 सड़क निर्माण एवं नाली/नाला निर्माण एवं सुधार कार्य छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित करके (सूची संलग्नक 'क' में) कराया गया।

| वर्ष | योजना का नाम | कराये गये निर्माण कार्य का मूल्य |
|---|---|---|
| 2014–15 | राज्य वित्त | 1,63,49,625 |
| 2015–16 | राज्य वित्त | 3,62,096 |
| | 14वां वित्त | 55,21,898 |
| 2016–17 | राज्य वित्त | 1,06,22,256 |
| **योग** | | 3,28,55,878 |

इस प्रकार न0पा0प0 द्वारा विगत तीन वर्षो में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिये रू0 328.56 लाख मूल्य के एक ही योजनाओं के तथा एक ही प्रकृति के निर्माण कार्यो को छोटे–छोटे टुकड़ो में विभाजित करके बार–बार निविदा आमंत्रित करके विभिन्न ठेकेदारों में माध्यम से कराया गया जबकि ये कार्य एक ही योजना से सम्बन्धित होने के कारण तथा एक ही प्रकृति के होने के कारण इन्हे वर्ष में एक बार निविदा आमंत्रित करके एक ही ठेकेदार (उच्च श्रेणी) के माध्यम से कराया जाना चाहिये था जिससे कि बारम्बार निविदा प्रक्रिया में होने वाले व्यय तथा समय की बरबादी से बचा जा सकता था तथा काम में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुये कार्य की गुणवत्ता में भी एकरूपता प्राप्त की जा सकती थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर नगर पालिका परिषद द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर से स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि होती है अतः रू0 328.56 लाख मूल्य के एक ही प्रकृति के निर्माण कार्यो को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित कर कराये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## संलग्नक 'ख'

| क्र0 सं0 | निर्माण कार्य का नाम | योजना की नाम | कार्य की लागत |
|---|---|---|---|
| | **2014–15 के निर्माण कार्य** | | |
| 1. | वार्ड 12 मायाकुण्ड में विवेक आश्रम से मणिदीप धाम तक सी0सी0 सड़क सुधार कार्य | राज्य वित्त | 10,00,151 |
| 2. | वार्ड 18 वनखड़ी में दयावती निकेतन से नंदीदेवी के घर तक सी0सी0 सड़क नाली निर्माण कार्य | राज्य वित्त | 8,80,538 |
| 3. | वार्ड 10 नेपाली बस्ती व चौधरी सिंहासन वाली गली में सी0सी0 सड़क सुधार | राज्य वित्त | 2,66,601 |
| 4. | वार्ड 10 चन्द्रेश्वर मार्ग से चन्द्रेश्वर मंदिर तक सी0सी सडक सुधार | राज्य वित्त | 5,28,157 |
| 5. | वार्ड 9 राम बाबू गोयल वाली गली में टाईल्स रोड नाली सुधार | राज्य वित्त | 2,21,753 |
| 6. | वार्ड 20 नैनीताल बैंक वाली गली में तिलक मार्ग से मनीराम मार्ग तक नाली सुधार | राज्य वित्त | 5,60,193 |
| 7. | वार्ड 5 कुम्हारखाड़ा शौचालय के पास सतेंद्र, पिकी बस अडडा मार्ग तक जखेड़ा, जमुना वाली गली, चमोली से उनियाल धन्नो देवी से सुमेर तक नाली सुधार | राज्य वित्त | 9,77,524 |
| 8. | वार्ड 20 सोनू स्कूटर वाली गली में राकेश के मकान से तिलक रोड तक नाली सुधार पैच कार्य | राज्य वित्त | 1,99,745 |
| 9. | वार्ड 14 पुष्कर मंदिर मार्ग पर भारत प्रिंटर्स के सामने सुदामा मार्ग पर ओम निवास से भूरी माई बगीचे के सामने गणेश मंदिर व अशोक के पास प्राइमरी स्कूल से पुष्कर मंदिर व काली मंदिर गली में नाली सुधार। | राज्य वित्त | 8,95,206 |
| 10. | वार्ड 6 आसुतोश नगर में गली 9, 10, 11 ग्वाली के पास नाली सुधार | राज्य वित्त | 4,95,130 |
| 11, | वार्ड 11 चन्द्रेश्वर नगर में अमर सिंह से फूलचन्द्र, विश्वनाथ से सतराम, सतराम से सुनील जनरल स्टोर, राजेश से मुन्नी लाल, सुरेश तिवाड़ी से कैरा यादव के घर तक सी0सी0 सड़क नाली निर्माण | राज्य वित्त | 9,27,518 |
| 12. | पीपल घाट में जल भराव की निकासी हेतु सी0सी नाली निर्माण | राज्य वित्त | 9,15,951 |
| 13. | अपर गंगा नगर गली 8 में सी0सी0 सड़क नाली सुधार | राज्य वित्त | 4,14,542 |
| 14 | बनखड़ी गली 1 में रायल बेकर्स वाली गली में नाली सुधार | राज्य वित्त | 8,26,427 |
| 15. | सोमेश्वर नगर में श्री प्यारे लाल जुगरान वाली सड़क पर नाली सुधार | राज्य वित्त | 4,58,292 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | सोमेश्वर सड़क मार्ग पर आदेश के घर के आगे खेम चन्द्र के घर के पास सड़क भूमिगत नाली निर्माण | राज्य वित्त | 5,04,985 |
| 17. | वार्ड 20 हीरा लाल मार्ग पर मार्डन डेली नीडस से तिलक मार्ग तक नाला सुधार | राज्य वित्त | 2,32,248 |
| 18. | गोविद नगर में गोविद वाटिका पार्क के पास हरिद्वार मार्ग तक नाली सुधार | राज्य वित्त | 4,68,303 |
| 19. | गंगा विहार में साई मंदिर से सत्संग भवन, बलजीत वाली गली, मिनोचा के घर के पास स्नेह भवन से पटेल भवन तक नाली सुधार | राज्य वित्त | 4,94,346 |
| 20. | व्यापार सभा वाली गली में नाली सुधार पैच मरम्मत | राज्य वित्त | 4,07,300 |
| 21. | जीवनी माई मार्ग, रेलवे मार्ग पर छाया टाकीज के पास नाली सुधार | राज्य वित्त | 4,38,863 |
| 22. | देहरादून मार्ग उत्तरांचल प्रापर्टी डीलर से पदमा नेगी के घर तक नाली सुधार | राज्य वित्त | 4,95,423 |
| 23. | वार्ड संख्या 1 चंद्रेश्वर नगर में पुंडीर के घर से गौड़ के घर तक, लीलाधर की दुकान से विश्वकर्मा चौक, रामप्रीत से टाट बाबा फाउण्डेशन होते हुये विश्वकर्मा चौक व वीरेन्द्र के घर से शमशान घाट तक नाली निर्माण | राज्य वित्त | 8,28,073 |
| 24. | सर्वहारा नगर में दुर्गा मंदिर से पुलिया होते हुये जानी के घर तक नाली सुधार | राज्य वित्त | 6,72,202 |
| 25. | सुभाष हेयर ड्रेसर तिलक मार्ग से रेलवे मार्ग तक नाली, नारायण शर्मा अद्वैतानंद मार्ग तक सी0सी0 सड़क सुधार कार्य | राज्य वित्त | 6,51,873 |
| 26. | सोमेश्वर मंदिर के नीचे से निरंकारी भवन होते हुये गुल्हाटी प्लाट के सामने से परशुराम चौक तक नाला निर्माण | राज्य वित्त | 10,55,999 |
| 27. | सोमेश्वर नगर कमलेश्वर मंदिर गली–2 में नाली सुधार | राज्य वित्त | 5,32,282 |
| **योग** | | | 1,63,49,625 |
| **2015–16 के निर्माण कार्य** | | | |
| 1. | वार्ड 17 तिलक मार्ग पर जैन वाली गली में सी0सी0 सड़क नाली सुधार | राज्य वित्त | 3,62,096 |
| 2. | दुर्गा मंदिर से गली संख्या 14 शिखर काम्पलैक्स तक नाला निर्माण | 14वां वित्त | 14,39,920 |
| 3. | जगमोहन सचदेवा से सुनील प्रोविजनल स्टोर होते हुये बंगाली मंदिर मार्ग तक नाली सुधार | 14वां वित्त | 8,99,108 |
| 4. | बंगाली मंदिर मार्ग पर बनारसी दास के घर से हरिद्वार मार्ग तक नाला निर्माण | 14वां वित्त | 6,96,570 |
| 5. | चूना भटटा से बनखड़ी होते हुये शांति नगर तक नाला सुधार | 14वां वित्त | 24,86,250 |
| **योग** | | | 58,83,944 |

| 2016–17 के निर्माण कार्य | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | डिग्री कालेज में सी0सी0 सड़क निर्माण | राज्य वित्त | 4,90,000 |
| 2. | गंगानगर गली –9 में एम0एन0 गुप्ता के फलैट से ज्योति विकलांग स्कूल तक भूमिगत नाला निर्माण | राज्य वित्त | 39,72,900 |
| 3. | भरत चौहान के घर से हेमंत त्यागी के घर तक सड़क नाली निर्माण | राज्य वित्त | 5,72,750 |
| 4. | वार्ड 9 विभिन्न क्षतिग्रस्त नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण | राज्य वित्त | 13,95,150 |
| 5. | मुखर्जी मार्ग में नाली सुधार | राज्य वित्त | 11,42,026 |
| 6. | पीपल घाट में नाले के उपर जाल स्लैब कार्य | राज्य वित्त | 6,23,500 |
| 7. | भरत नगर आस्था पथ जाने वाली सीढ़ियों का पुनर्निमाण | राज्य वित्त | 12,80,805 |
| 8. | सांई बिहार एकेडमी से हरिद्वार मार्ग तक सड़क निर्माण | राज्य वित्त | 7,30,750 |
| 9. | सोमेश्वर नगर गली–6 में सड़क निर्माण | राज्य वित्त | 4,14,375 |
| **योग** | | | **1,06,22,256** |
| **कुल योग** | | | **3,28,55,878** |

## भाग दो "अ"

**प्रस्तर 10:` 41,84,904/- धनराशि की सामग्री का अनावश्यक क्रय एवं भंडार पंजिकाओं का अनियमित रख-रखाव ।**

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 2 के नियम संख्या 4 से 26 में सामग्री की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या 76 के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इकाई के रजिस्टर/स्टॉक में अंकित सामग्री का भंडार/स्टॉक में अवशेष सामग्री के साथ मिलान किए जाने एवं पुरानी/निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को भंडार/सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। कार्यालय द्वारा सामग्री का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए एवं क्रय की गयी समस्त सामग्री को भण्डार पंजिका में चढ़ाया जाना चाहिए। उसके उपरांत ही संबन्धित कर्मचारी को निर्गत किया जाना चाहिए। निर्गत करते समय स्टॉक पंजिका पर निर्गत करने वाले एवं प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर अवश्य लिए जाने चाहिए।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश के वर्ष 2014-15 से 2016-17 के भण्डार पंजिकाओं / टूल & प्लांट पंजिका/ स्टेशनरी पंजिका व सामग्री क्रय से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि: -

**(अ)**इकाई की भंडार पंजिका की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा सामग्री क्रय करते समय आवश्यकता का आङ्क्लन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप इकाई द्वारा क्रय की गयी सामग्री लंबे समय तक अप्रयोज्य पड़ी हुयी है। वर्ष 2013-14 से भी पूर्व में क्रय की गयी निम्नांकित सामग्री पिछले तीन वर्ष से भी अधिक समय से अप्रयोज्य पड़ी है।

### सारणी "अ"

| सामग्री | 01/04/14 को अंतिम अवशेष | वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रय | वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपभोग | 31/03/17 को अंतिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|
| सोडियम लाइट 250 W (कंप्लीट फिटिंग) | 118 | 0 | 100 | 18 |
| सोडियम कवर | 17 | 0 | 0 | 17 |
| सोडियम होल्डर | 352 | 0 | 236 | 116 |
| ट्यूब रौड 40 W | 259 | 0 | 147 | 112 |
| ट्यूब चौक 40 W | 173 | 0 | 04 | 169 |
| ट्यूब स्टार्टर | 315 | 0 | 79 | 236 |
| कंटेनराइज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स | 208 | 0 | 06 | 202 |
| प्लास्टिक डस्टबिन (जैविक/अजैविक) | 95 | 0 | 11 | 84 |
| केबल 6 एम एम | 73 | 20 | 12 | 81 |
| झाड़ (किलो) | 634 | 5400 | 3047 | 2987 |
| पीवीसी 1.5 एम एम | 29 | 20 | 10 | 39 |

**(ब)**उपरोक्त के अतिरिक्त इकाई के भंडार में सामग्री उपलब्ध होने के उपरांत भी निम्नांकित सामग्री का क्रय किया गया था जिसका कि एक लंबी समयावधि बीत जाने के उपरांत भी उपभोग नहीं किया जा सका था। फलस्वरूप `**41,84,904/-** की धनराशि की सामग्री का अनावश्यक क्रय कर धनराशि का अवरोधन किया गया था।

**सारणी "ब"**

| सामग्री | 01/04/14 को अंतिम अवशेष | वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रय | वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपभोग | 31/03/17 को अंतिम अवशेष | टिप्पणी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | क्रय विवरण | अवशेष सामग्री का मूल्य (धनराशि `) |
| सोडियम लाइट 150 W (कंप्लीट फिटिंग) | 178 | 150 | 168 | 160 | 100 in 30/5/15 @6450/- | 1032000 |
| सोडियम इग्निटर (200/150/70 W) | 1770 | 1500 | 1420 | 1850 | @ 205/- | 379250 |
| ट्यूब लाइट 40 W (कंप्लीट फिटिंग) | 100 | 730 | 110 | 720 | @ 1700/- | 1224000 |
| केबल 10 एम एम | 21 | 60 | 20 | 61 | @4250/- | 255000 |
| केबल 70 एम एम | 101 | 1787 | 361 | 1527 | @ 396/- per mtr | 604692 |
| फ़्लड लाइट | 0 | 20 (15/1/15) | 08 | 12 | 20 @ 11322/- | 135864 |
| फावड़ी | 343 | 396 | 318 | 421 | 150 @ 323 & 246 @ 230/- | 105030 |
| गम बूट | 54 | 170 | 71 | 153 | 50 @718/- @ 100 @ 695/- | 107554 |
| टोकरी | 147 | 650 | 260 | 537 | 150 @ 422/- & 500 @ 298/- | 164614 |
| मास्क | 103 | 1000 | 225 | 878 | 1000 @ 70/- | 61460 |
| दस्ताने | 111 | 500 | 218 | 393 | 500 @ 80/- | 31440 |
| प्लास्टिक कंटेनर | -- | 20 | -- | 20 | 15/01/15 को क्रय | 84000 |
| | | | | | | **41,84,904.00** |

**(स)**. इकाई द्वारा सामान्य भंडार पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका एवं टूल्स & प्लांट्सपंजिकाओं का उ चत रख-रखाव नहीं कया जा रहा था। अग्रसारण/भंडार प्राप्ति की प्र वष्टियों का सक्षम अ धकारी द्वारा सत्यापन नहीं

कया जा रहा था एवं क्रय की गई सामग्री के मूल्य आदि का सम्पूर्ण ववरण का अंकन नहीं कया जा रहा था। सामग्री निर्गत कए जाने पर पंजिकाओं तथा इंडेंट पत्रों में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं लए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त भंडार पंजिकाओं में अ धलेखन (Over Writing) कया जा रहा था। निम्नां कत सामग्री के अग्रसारण (Carry Forward)/निर्गत कए जाने के उपरांत अवशेष कम दर्शाया गया था।

सारणी स

| सामग्री | तिथि | भंडार पंजिका के अनुसार अवशेष | वास्तविक अवशेष | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| सोडियम लाइट (कंप्लीट फिटिंग) | 26/05/14 & 01/04/15 | 110 | 128 | 18 कम |
| सोडियम बल्ब 70 W | 01/04/14 | 367 | 362 | 05 कम |
| सोडियम चौक 400 W | 11/07/14 | 137 | 130 | 07 कम |
| सोडियम कंडेंसर 400 W | 10/03/16 & 01/04/16 | 170 | 120 | 50 कम |
| झाड़ (किलो) | 22/06/15 | 802 | 702 | 100 किलो कम |

**(द)**. सक्षम अधिकारी द्वारा वर्षांत में अवशेष सामग्री का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण इकाई के पास उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री के संबंध में उचित जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये निम्नवत बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गयी: -

1. इकाई द्वारा सामान्य भंडार पंजिकाओं, मृत स्कन्ध पंजिका एवं टूल्स & प्लांट पंजिका आदि के उ चत रख-रखाव न कए जाने के कारणों के संबंध में इकाई द्वारा भ वष्य में उ चत रख-रखाव का आश्वासन दिया है।

2. उपरोक्त सारणी अ में अं कत भंडार सामग्री के तीन वर्षों से भी अ धक समय बीत जाने पर भी उपयोग न कए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा सामग्री का आवश्यकता पड़ने पर भ वष्य में प्रयोग कया जाना बताया गया ।

3. उपरोक्त सारणी ब में अं कत `**41,84,904/-**धनराशि की सामग्री के अनावश्यक क्रय के संबंध में इकाई द्वारा भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री क्रय किए जाने का आश्वासन दिया गया था।

4. उपरोक्त सारणी स में अं कत भंडार सामग्री के अग्रसारण/निर्गत कए जाने के उपरांत भंडार पंजिका में कम अवशेष दर्शाये जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क सामग्री क्रय कए जाने के उपरांत लंबे समय तक उपयोग न कए जाने के कारण सामग्री पर प्राप्त होने वाली गारंटी/वारंटी की सु वधा के लाभ से वं चत रहना पड़ा व समय के साथ सामग्री के नष्ट/क्षय व प्रचलन से बाहर होने की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता है। अनावश्यक सामग्री क्रय से धनरा श का अवरोधन व भंडारण की समस्या भी बनी रहती है। भंडार पंजिका में सामग्री के कम दर्शाये जाने से सामग्री के दु र्वनियोग (Misappropriation) की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो (अ)

**प्रस्तर 11: ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का बिलकुल अनुपालन न किया जाना एवं रू0 5.10 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना।**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

| मानदण्ड | अनुपालन |
|---|---|
| ठोस अपशिष्ट का संग्रहण | प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण |
| ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण | अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना। |
| ठोस अपशिष्ट का भण्डारण | जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव। |
| ठोस अपशिष्ट का परिवहन | अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना। |
| ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया | उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना। |
| ठोस अपशिष्ट का निस्तारण | भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों। |

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(ड.)** के अनुसार नगरीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुये उपविधियां बनायेगा एवं समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बर्साती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी

अधिकारी प्रारूप–VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश, जनपद देहरादून (न0पा0प0) के ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 32.00 मीट्रिक टन अपशिष्ट के सापेक्ष 22 मीट्रिक टन अपशिष्ट को 15 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत किये संग्रहित किया जा रहा था। उपयोग में लाये जा रहे 15 वाहनों मे से 11 वाहन खुले थे। न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया एवं भू–भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया था। न0पा0प0 द्वारा नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष न तो तैयार की जा रही थी और न ही प्रेषित नहीं की जा रही थी। न0पा0प0 परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण नहीं उपलब्ध था जिसके कारण संग्रहित अपशिष्ट ऋषिकेश–देहरादून मार्ग पर गंगा नदी से 50 मीटर की दूरी पर उचाई पर (क्योंकि सड़क के एक ओर ट्रेंचिंग ग्राउण्ड है तथा दूसरी तरफ गंगा नदी है) जयराम आश्रम की जमीन पर डाला जा रहा था जिससे स्पष्ट है कि वर्षा काल एवं अन्य समय ट्रेंचिंग ग्राउण्ड की गन्दगी गंगा नदी में बह कर गंगा नदी को प्रदूषित कर रही है। उपरोक्त के अलावा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड जगह जगह कूड़ा जलाया जाना पाया गया जैसा कि निम्नलिखित फोटोग्राफ से स्पष्ट है।

उपरोक्त के अलावा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड परिक्षेत्र का वायु, भूगर्भीय जल एवं लीचेट (Leachate) की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में पालिका परिक्षेत्र में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के प्राधिकार में कप्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। न0पा0प0 द्वारा कोई उपविधि नहीं बनायी गयी थी, कार्मिको को बहुत ही अल्प मात्रा में सुरक्षात्मक उपकरण वितरित किये गये थे। न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2014–17 में स्वच्छ भारत एवं राज्य सरकार से धनराशि रू0 5. 10 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद ऋषिकेश के अन्तर्गत ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त पायी गयी तथा नगर पालिका परिषद स्तर पर इस व्यवस्था मे सुधार हेतु किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाना नही पाया गया इसी कारण जगह जगह कूड़ा डस्टबिन से नीचे फैला पड़ा पाया गया और गायें नीचे फैले पड़े कूड़े को खाते हुये पायी गयी, ट्रेंचिंग ग्राउण्ड शहर के बीचों बीच स्थापित है तथा गंगा नदी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर उचाई पर स्थापित है ट्रेंचिंग ग्राउण्ड जगह जगह कूड़ा जलाया गया पाया गया जिससे स्पष्ट है कि नगर पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार बिलकुल नहीं किया जा रहा था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि सफाई कर्मियों एवं वाहनों की कमी के कारण सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट नही उठा पा रहे है। वर्तमान में नगर पालिका के पास कूड़े प्रबन्धन हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण कूड़े का अंतिम निस्तारण नही किया जा रहा है। भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण की स्थापना सम्भव नहीं है, वार्षिक रिपोर्ट वर्तमान में नही भेजी जा रही है। भूमि की उपलब्धता न होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का बिलकुल अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 2016–17 में स्वच्छ भारत के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 5.10 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किये जाने एवं रू0 5.10 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग II-'ब'**

**प्रस्तर 01: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `3,96,758/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।**

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून के निर्माण कार्यों के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान संलग्नक के अनुसार **71** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`3,96,75,881/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`3,96,758/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे बताया कि संलग्नक में लिखित निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`3,96,758/-** की कटौती ठेकेदारों के आगामी बिलों से करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

| नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, जनपद-देहरादून द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2014-15 से 2016-17 तक) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रं.सं. | वित्तीय वर्ष | निधि का नाम | कार्य का नाम | कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि | लेबर सेस की कटौती | | |
| | | | | | जो की जानी थी (@1%) | जो की गई | अन्तर |
| 1 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक गोदवानी (वार्ड नं. 13) सोमे. नगर, गली नं. 01 - सी.सी.सड़क व नाली निर्माण | 761389 | 7614 | 0 | 7614 |
| 2 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री एन.एम.सिंह वार्ड नं. 08 गंगानगर विकास कार्य | 604605 | 6046 | 0 | 6046 |
| 3 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार (रिलाइन्स इन्फो) सी.सी.सड़क विकास कार्य | 2762000 | 27620 | 0 | 27620 |
| 4 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री एन.एम.सिंह - श्री महेन्द्र के सामने वाली सड़क का सी.सी.निर्माण | 185933 | 1859 | 0 | 1859 |
| 5 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार ध्यानी टाइप वाली सड़क पर सी.सी. निर्माण | 346261 | 3463 | 0 | 3463 |
| 6 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं.-13 पानी की टंकी से बालाजी मन्दिर तक सी.सी.मार्ग निर्माण | 408804 | 4088 | 0 | 4088 |
| 7 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्रीमती मोनिका गर्ग वार्ड नं. 04 शांति नगर में नाले के ऊपर स्लैब व जाली | 426779 | 4268 | 0 | 4268 |
| 8 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 13,14,15 में सी सी सड़क व नाली निर्माण | 557259 | 5573 | 0 | 5573 |
| 9 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 19, 20 में सी सी सड़क व नाली निर्माण | 651500 | 6515 | 0 | 6515 |
| 10 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड 19, हनुमंतपुरम में गलियों की साइड पट्टी | 508785 | 5088 | 0 | 5088 |
| 11 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्रीमती मोनिका गर्ग वार्ड नं. 09 में नाली व सड़क निर्माण | 877673 | 8777 | 0 | 8777 |
| 12 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल विकास कार्य वार्ड नं. 12, लाजपत मार्ग पर नाली निर्माण व मरम्मत | 233120 | 2331 | 0 | 2331 |
| 13 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 20 मनीराम मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य | 855817 | 8558 | 0 | 8558 |
| 14 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार विवेक आश्रम मणिरीप धाम तक विकास कार्य | 950143 | 9501 | 0 | 9501 |
| 15 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार बसन्त पंचमी हेतु सड़क मरम्मत | 204983 | 2050 | 0 | 2050 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार वार्ड नं. 17 सी.सी.सड़क व सुधार | 613198 | 6132 | 0 | 6132 |
| 17 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल नेपाली बस्ती में सी सी सड़क का निर्माण | 266601 | 2666 | 0 | 2666 |
| 18 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार पुष्कर मन्दिर भारत प्रिंटर्स नाली सुधार | 850446 | 8504 | 0 | 8504 |
| 19 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, कुम्हारवाडा में सार्वजनिक शौचालय के पास नाली सुधार व पैच | 928647 | 9286 | 0 | 9286 |
| 20 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल वार्ड नं. 10 , चंदरेश्वर मार्ग से चंदरेश्वर मंदिर तक सी सी सड़क व सुधार कार्य | 477086 | 4771 | 0 | 4771 |
| 21 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार आशु नगर 9,10,11 बग्वाड़ी के निकट नाली सुधार | 470373 | 4704 | 0 | 4704 |
| 22 | 2014-15 | राज्य वित्त | अशोक आर्य वनखंडी में दयावन्ती निकेतन से नदी के घर तक सी सी सड़क व नाली निर्माण | 852833 | 8528 | 0 | 8528 |
| 23 | 2014-15 | राज्य वित्त | अशोक आर्य वीरभद्र मार्ग गली नं. 004 में टाइल्स, रोड, नाली मरम्मत व गली नं. 06 में बंदे के किनारे पार्क मूत्रालय | 404091 | 4041 | 0 | 4041 |
| 24 | 2015-16 | अवस्थापना विकास निधि | मै. वर्मा एसो. तिलक मार्ग जैन वाली गली में सी सी सड़क व नाली सुधार | 427000 | 4270 | 0 | 4270 |
| 25 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, सोनू स्कूटर वाली गली में नाली सुधार | 290522 | 2905 | 0 | 2905 |
| 26 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं. 05 कुम्हारवाडा में श्री उनियाल बलबीर से महेश प्रजापति के घर तक नाली | 280972 | 2810 | 0 | 2810 |
| 27 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, नैनीताल बैंक वाली गली में नाली सुधार | 242957 | 2430 | 0 | 2430 |
| 28 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं. 06 आशुतोष नगर में श्रीधर के घर से कुकरेती के घर तक नाली | 290012 | 2900 | 0 | 2900 |
| 29 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं. 06 आशुतोष नगर में श्रीधर के घर से कुकरेती के घर तक नाली सुधार | 286284 | 2863 | 0 | 2863 |
| 30 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.12, खन्ना ट्रांसपोर्ट वाली गली में पुलिया निर्माण व नाली निर्माण -I | 286135 | 2861 | 0 | 2861 |
| 31 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.12, खन्ना ट्रांसपोर्ट वाली गली में पुलिया निर्माण व नाली निर्माण -II | 289997 | 2900 | 0 | 2900 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, सोमेश्वर मंदिर मार्ग, ऊपर गंगानगर, गली नं. 08 में सी सी सड़क व नाली | 393815 | 3938 | 0 | 3938 |
| 33 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, बनखंडी में स्वीटी की दुकान से प्रदीप पानवाले के घर तक नाली-I | 238548 | 2385 | 0 | 2385 |
| 34 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, बनखंडी में स्वीटी की दुकान से प्रदीप पानवाले के घर तक नाली-II | 290101 | 2901 | 0 | 2901 |
| 35 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री सुभाष रायजादा, वार्ड नं. 15, पीपल घाट में जल भराव की निकासी हेतु सी सी नाली व गेट निर्माण | 870153 | 8702 | 0 | 8702 |
| 36 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, हरि मार्ग पर उप्पल स्टेशनर्स वाली गली में सड़क सुधार | 285880 | 2859 | 0 | 2859 |
| 37 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, वार्ड नं. 11, चंदरेश्वर नगर में सी सी सड़क व नाली निर्माण | 679678 | 6797 | 0 | 6797 |
| 38 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं. 14, देहरादून मार्ग से लेकर बस अड्डे जाने वाले मार्ग तक सड़क नाली | 285596 | 2856 | 0 | 2856 |
| 39 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल , वार्ड नं. 07 में वेद धींगड़ा वाली सड़क पर सी सी सड़क व नाली | 291400 | 2914 | 0 | 2914 |
| 40 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री अशोक आर्य, सोमेश्वर नगर में श्री प्यारेलाल जुगरान वाली सड़क पर नाली सुधार | 434246 | 4342 | 0 | 4342 |
| 41 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री अशोक आर्य, सोमेश्वर मन्दिर मार्ग पर श्री आदेश के घर के आगे श्री खेमचंद के घर के पास सी सी सड़क | 459607 | 4596 | 0 | 4596 |
| 42 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्रीमती मोनिका गर्ग, बनखंडी गली नं. 01 में रॉयल बेकर्स वाली गली में नाली सुधार | 768902 | 7689 | 0 | 7689 |
| 43 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, स्वीटी की दुकान से प्रदीप पाल के घर तक सी सी सड़क व नाली सुधार | 272558 | 2726 | 0 | 2726 |
| 44 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, चंद्रभागा नदी के किनारे अस्थायी पार्किंग का निर्माण-I | 284877 | 2849 | 0 | 2849 |
| 45 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, चंद्रभागा नदी के किनारे अस्थायी पार्किंग का निर्माण-II | 284877 | 2849 | 0 | 2849 |
| 46 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, चंद्रभागा नदी के किनारे अस्थायी पार्किंग का निर्माण-III | 279099 | 2791 | 0 | 2791 |
| 47 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, चंद्रभागा नदी के किनारे अस्थायी पार्किंग का निर्माण-IV | 220341 | 2203 | 0 | 2203 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, वार्ड नं. 03, सर्वहारा नगर, दुर्गा मन्दिर से पुलिया होते हुए जॉनी के घर तक नाली | 638591 | 6386 | 0 | 6386 |
| 49 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, गंगा विहार में साई कोर्नर से सत्संग भवन, बलजीत त्यागी, मिनोचा वाली गली उप्पल वर्कशॉप के निकट नाली | 469629 | 4696 | 0 | 4696 |
| 50 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, चंदरेश्वर नगर में श्री पुंडीर से शमशान घाट तक नाली निर्माण | 786668 | 7867 | 0 | 7867 |
| 51 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्रीमती मोनिका गर्ग, सोमेश्वर मंदिर के नीचे से निरंकारी भवन होते हुए गुलाटी प्लाट के सामने नाला | 1003199 | 10032 | 0 | 10032 |
| 52 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, जटिया बस्ती में कम्पाला से धर्मवीर श्री गोयल तक ओमप्रकाश से मॉडर्न स्कूल | 968191 | 9682 | 0 | 9682 |
| 53 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री अशोक आर्य, वीरभद्र मार्ग गली नं.-04 में टाइल्स रोड, नाली मरम्मत व गली नं.-06 में बंधे के किनारे पार्क मूत्रालय | 513860 | 5139 | 0 | 5139 |
| 54 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, धोबीघाट प्राइमरी स्कूल के पास सड़क निर्माण | 469147 | 4691 | 0 | 4691 |
| 55 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, दुर्गा मन्दिर गली नं. 15, शिखर कॉम्प्लेक्स तक नाला निर्माण | 1118488 | 11185 | 0 | 11185 |
| 56 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, चूना भट्टा से बनखंडी होते हुए शांति नगर तक नाला -I | 544700 | 5447 | 0 | 5447 |
| 57 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | मै. वर्मा एसो. बंगाली मन्दिर मार्ग पर श्री बनारसी दास के घर से हरिद्वार मार्ग तक नाला निर्माण | 696570 | 6966 | 0 | 6966 |
| 58 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री सुभाष सचदेवा, सुनील प्रोविज़न स्टोर नाला निर्माण | 831500 | 8315 | 0 | 8315 |
| 59 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, चूना भट्टा से बनखंडी होते हुए शांति नगर तक नाला -II | 704911 | 7049 | 0 | 7049 |
| 60 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | गंगानगर गली नं. 09 एम.एन. गुप्ता के घर से R.P.S.तक भूमिगत नाला-I | 857045 | 8570 | 0 | 8570 |
| 61 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, दुर्गा मन्दिर गली नं. 14, शिखर कॉम्प्लेक्स तक नाला निर्माण | 292278 | 2923 | 0 | 2923 |
| 62 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | गंगानगर गली नं. 09 एम.एन. गुप्ता के घर से R.P.S.तक भूमिगत नाला-II | 879891 | 8799 | 0 | 8799 |
| 63 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | गंगानगर गली नं. 09 एम.एन. गुप्ता के घर से R.P.S.तक भूमिगत नाला-III | 957141 | 9571 | 0 | 9571 |
| 64 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं. 16, गली नं. 09, 10 में नाली व जाल निर्माण | 386966 | 3870 | 0 | 3870 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, वार्ड नं. -13, कमलेश्वर मंदिर, गली नं.-02 मेन नाली सुधार | 496847 | 4968 | 0 | 4968 |
| 66 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्रीमती किरण जोशी, राजकीय महाविद्यालय में सी.सी.सड़क निर्माण | 451440 | 4514 | 0 | 4514 |
| 67 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, श्री भरत चौहान के घर से हेमन्त त्यागी के घर तक सड़क नाली निर्माण | 529916 | 5299 | 0 | 5299 |
| 68 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्री नरेन्द्र मोहन, वार्ड नं. -09 में विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त नालियों का निर्माण | 531816 | 5318 | 0 | 5318 |
| 69 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.-10 दुर्गा देवी के घर से मनीष के घर तक सी सी सड़क, रे रोड पर GGIC स्कूल के पास टाइल्स निर्माण, रे रोड पर श्री जैन की दुकान के सामने टाइल्स, वार्ड नं.-15, पीपल घाट नाले की कवरिंग | 451720 | 4517 | 0 | 4517 |
| 70 | 2016-17 | राज्य वित्त | श्री सुभाष रायजादा, आस्था पथ की ओर सुरक्षा एवं सीढ़ी निर्माण | 547104 | 5471 | 0 | 5471 |
| 71 | 2016-17 | राज्य वित्त | देहरादून तिराहे से पंजाब सिंध क्षेत्र तक भूमिगत नाली | 616380 | 6164 | 0 | 6164 |
| | | | **कुल योग** | **39675881** | **396758** | **0** | **396758** |

**भाग II-'ब'**

**प्रस्तर 02: इकाई द्वारा वाणिज्यकर की कम कटौती किए जाने के कारण शासन को `97,504/- के राजस्व की हानि |**

उत्तराखण्ड Value Added Tax Act, 2005 की धारा 35 की उपधारा (1) के अनुसार भुगतान के समय ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से बिल की राशि से 6% की दर से वाणिज्यकर की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा की जानी चाहिए | **वाणिज्यकर की धनराशि जिस माह में काटी गई है, उस माह से अगले माह के समाप्त होने से पूर्व राजकोष जमा करानी चाहिए** |

उत्तराखण्ड Value Added Tax Act, 2005 की धारा 35 की उपधारा (9) एवं (10) के अनुसार:- **"if any such person fails to make the deduction or, after deducting, fails to deposit the amount so deducted, he shall be liable to pay simple interest at the rate of fifteen percent per annum on the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited from the date on which such amount was deductible to the date on which such amount is actually deducted. "**

नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2017) में पाया गया कि इकाई के निर्माण एवं लेखा विभाग की लापरवाही के कारण इकाई द्वारा संलग्नक में उल्लिखित **16** निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **`97,504/-** के वाणिज्यकर की कटौती नहीं की गई अथवा कम कटौती की गई जिसके कारण शासन को **`97,504/-** के राजस्व की हानि हुई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की अनभिज्ञता के कारण **`97,504/-** के वाणिज्यकर की कम कटौती की गई अथवा कटौती नहीं की गई | इकाई ने आगे बताया कि संलग्नक में लिखित कार्यों के सापेक्ष वाणिज्यकर की बकाया धनराशि **`97,504/-** की ठेकेदारों के आगामी कार्यों/बिलों से कटौती करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय ही वाणिज्यकर की पूर्ण कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए थी | इकाई द्वारा वाणिज्यकर की कम कटौती किए जाने के कारण शासन को **`97,504/-** के राजस्व की हानि हुई है | उपरोक्त के सम्बंध में यह अपेक्षित है कि उक्त कटौती पर नियमानुसार दंडात्मक ब्याज आरोपित कर राजकोष में शीघ्र जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये |

अतः इकाई द्वारा **`97,504/-** के वाणिज्यकर की कम कटौती किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

| नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, जनपद-देहरादून द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से वाणिज्यकर की कम कटौती अथवा कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2014-15 से 2016-17 तक) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रं. सं. | वित्तीय वर्ष | निधि का नाम | कार्य का नाम | बिल की राशि जिस पर कटौती की जानी थी | बिल की राशि जिस पर कटौती की गई | वाणिज्यकर की धनराशि | | |
| | | | | | | जो राजकोष में जमा की जानी थी | जो राजकोष में जमा की गई | अन्तर |
| 1 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.-05, कुमहारवाड़ा में सार्वजनिक शौचालय के निकट विभिन्न स्थानों पर नाली सुधार व पैच मरम्मत कार्य | 977523 | 928647 | 58651 | 55719 | 2932 |
| 2 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल सिंह, वार्ड नं.-10, चंदरेश्वर मार्ग से चंदरेश्वर मंदिर तक सी सी सड़क सुधार कार्य | 502196 | 477086 | 10044 | 9541 | 503 |
| 3 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल शर्मा, वार्ड नं.-09, रामबाबू गोयल वाली गली में टाइल्स रोड व नाली सुधार कार्य | 221753 | 210665 | 13305 | 12640 | 665 |
| 4 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री अशोक आर्य, वार्ड नं.-18, सुभाष बनखंडी ग्राम में श्रीमती दयावती निकेतन के पास सी सी सड़क व नाली सुधार कार्य | 897718 | 852833 | 17954 | 17056 | 898 |
| 5 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.-06, आशुतोष नगर में गली नं. 9,10,11 व श्री ग्वाली के निकट नाली निर्माण कार्य | 495130 | 470373 | 29708 | 28222 | 1486 |
| 6 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.12, खन्ना ट्रांसपोर्ट वाली गली में पुलिया निर्माण व नाली निर्माण -I | 286135 | 286135 | 17170 | 0 | 17170 |
| 7 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.12, खन्ना ट्रांसपोर्ट वाली गली में पुलिया निर्माण व नाली निर्माण -II | 289997 | 289997 | 17400 | 0 | 17400 |
| 8 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, सोमेश्वर मंदिर मार्ग, अपर गंगानगर, गली नं. 08 में सी सी सड़क व नाली | 393815 | 393815 | 7876 | 0 | 7876 |
| 9 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, वार्ड नं. 11, चंदरेश्वर नगर में सी सी सड़क व नाली निर्माण | 679678 | 679678 | 40781 | 0 | 40781 |
| 10 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल सिंह, सर्वहारा नगर में दुर्गा मंदिर से पुलिया होते हुए जानी के घर तक सुधार कार्य | 672201 | 638591 | 40332 | 38315 | 2017 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल सिंह, वार्ड नं. 07, गंगा विहार में साईं कॉर्नर से सत्संग भवन, स्नेह भवन से पटेल भवन तक वर्कशॉप निर्माण कार्य | 494346 | 469629 | 29661 | 28178 | 1483 |
| 12 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल सिंह, वार्ड नं. 01, चंदरेश्वर नगर में श्री पुंडीर से श्री गौड़, श्री लीलाधर की दुकान से विश्वकर्मा चौक आदि तक नाली निर्माण कार्य | 828072 | 786668 | 49684 | 47200 | 2484 |
| 13 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री अशोक आर्य, वार्ड नं.-07, गोविंदनगर में गोविंद वाटिका पार्क के निकट सुधार कार्य | 468303 | 444888 | 9366 | 8898 | 468 |
| 14 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, वार्ड नं.-09 में व्यापार सभा वाली गली में नाली सुधार व पैच मरम्मत कार्य | 407299 | 386934 | 8146 | 7739 | 407 |
| 15 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, वार्ड नं.-09 में जीवनीमाई मार्ग व रेलवे रोड पर छाया टॉकीज के निकट नाली निर्माण कार्य | 438863 | 416920 | 8777 | 8338 | 439 |
| 16 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, वार्ड नं.-06, उत्तरांचल प्रॉपर्टी डीलर से श्रीमती पदमा नेगी, श्री कंडवाल के घर तक नाली सुधार कार्य | 495422 | 470651 | 9908 | 9413 | 495 |
| | | | **कुल योग** | **8548451** | **8203510** | **368763** | **271259** | **97504** |

**<u>भाग II-'ब'</u>**

**प्रस्तर 03: इकाई द्वारा आयकर की कम कटौती किए जाने के कारण शासन को `61,295/- के राजस्व की हानि |**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ग की उपधारा (1) के अनुसार ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से निम्नानुसार आयकर की कटौती की जानी चाहिए:-

(i) जहां संदाय या प्रत्यय किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किया जा रहा है, **एक प्रतिशत**;

(ii) जहां किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय या प्रत्यय किया जा रहा है, वहां **दो प्रतिशत**;

जहां किसी राशि को किसी काम को करने के लिए संदत्त या जमा किया जाता है वहां कर की स्रोत पर, कटौती-

(i) सामग्री के मूल्य को, यदि ऐसे मूल्य को पृथक रूप से बीजक में वर्णित किया गया है, छोडकर बीजक मूल्य पर की जाएगी; या

(ii) यदि सामग्री के मूल्य को पृथक रूप से बीजक में वर्णित नहीं किया गया है, तो सम्पूर्ण बीजक मूल्य पर की जाएगी |

नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2017) में पाया गया कि इकाई के निर्माण एवं लेखा विभाग की लापरवाही के कारण इकाई द्वारा संलग्नक में उल्लिखित **19** निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **`61,295/-** के आयकर की कटौती नहीं की गई अथवा कम कटौती की गई जिसके कारण शासन को **`61,295/-** के राजस्व की हानि हुई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की अनभिज्ञता के कारण **`61,295/-** के आयकर की कम कटौती की गई अथवा कटौती नहीं की गई | इकाई ने आगे बताया कि संलग्नक में लिखित कार्यों के सापेक्ष आयकर की बकाया धनराशि **`61,295/-** की ठेकेदारों के आगामी बिलों से कटौती करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय ही आयकर की पूर्ण कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए थी | इकाई द्वारा आयकर की कम कटौती किए जाने के कारण शासन को **`61,295/-** के राजस्व की हानि हुई है | उपरोक्त के सम्बंध में यह अपेक्षित है कि उक्त कटौती पर नियमानुसार दंडात्मक ब्याज आरोपित कर राजकोष में शीघ्र जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये |

अतः इकाई द्वारा **`61,295/-** के आयकर की कम कटौती किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

**नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, जनपद-देहरादून द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से आयकर की कम कटौती अथवा कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2014-15 से 2016-17 तक)**

| क्रं.सं. | वित्तीय वर्ष | निधि का नाम | कार्य का नाम | बिल की राशि जिस पर कटौती की जानी थी | बिल की राशि जिस पर कटौती की गई | आयकर की धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | जो राजकोष में जमा की जानी थी | जो राजकोष में जमा की गई | अन्तर |
| 1 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.-05, कुमहारवाड़ा में सार्वजनिक शौचालय के निकट विभिन्न स्थानों पर नाली सुधार व पैच मरम्मत कार्य | 977523 | 928647 | 19550 | 18573 | 977 |
| 2 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल सिंह, वार्ड नं.-10, चंदरेश्वर मार्ग से चंदरेश्वर मंदिर तक सी सी सड़क सुधार कार्य | 502196 | 477086 | 10044 | 9541 | 503 |
| 3 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल शर्मा, वार्ड नं.-09, रामबाबू गोयल वाली गली में टाइल्स रोड व नाली सुधार कार्य | 221753 | 210665 | 4435 | 4213 | 222 |
| 4 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री अशोक आर्य, वार्ड नं.-18, सुभाष बनखंडी ग्राम में श्रीमती दयावती निकेतन के पास सी सी सड़क व नाली सुधार कार्य | 897718 | 852833 | 17954 | 17056 | 898 |
| 5 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.-06, आशुतोष नगर में गली नं. 9,10,11 व श्री ग्वाली के निकट नाली निर्माण कार्य | 495130 | 470373 | 9903 | 9407 | 496 |
| 6 | 2014-15 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल नेपाली बस्ती में सी सी सड़क का निर्माण | 266601 | 266601 | 5332 | 5065 | 267 |
| 7 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.12, खन्ना ट्रांसपोर्ट वाली गली में पुलिया निर्माण व नाली निर्माण -I | 286135 | 286135 | 5723 | 0 | 5723 |
| 8 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री दीपक कुमार, वार्ड नं.12, खन्ना ट्रांसपोर्ट वाली गली में पुलिया निर्माण व नाली निर्माण -II | 289997 | 289997 | 5800 | 0 | 5800 |
| 9 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, सोमेश्वर मंदिर मार्ग, अपर गंगानगर, गली नं. 08 में सी सी सड़क व नाली | 393815 | 393815 | 7876 | 0 | 7876 |
| 10 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल, वार्ड नं. 11, चंदरेश्वर नगर में सी सी सड़क व नाली निर्माण | 679678 | 679678 | 13594 | 0 | 13594 |
| 11 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल सिंह, सर्वहारा नगर में दुर्गा मंदिर से पुलिया होते हुए जानी के घर तक सुधार कार्य | 672201 | 638591 | 13444 | 12772 | 672 |
| 12 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल सिंह, वार्ड नं. 07, गंगा विहार में साईं कॉर्नर से सत्संग भवन, स्नेह भवन से पटेल भवन | 494346 | 469629 | 9887 | 9393 | 494 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | तक वर्कशॉप निर्माण कार्य | | | | | |
| 13 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री रंगपाल सिंह, वार्ड नं. 01, चंदरेश्वर नगर में श्री पुंडीर से श्री गौड़, श्री लीलाधर की दुकान से विश्वकर्मा चौक आदि तक नाली निर्माण कार्य | 828072 | 786668 | 16561 | 15733 | 828 |
| 14 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री अशोक आर्य, वार्ड नं.-07, गोविंदनगर में गोविंद वाटिका पार्क के निकट सुधार कार्य | 468303 | 444888 | 9366 | 8898 | 468 |
| 15 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, वार्ड नं.-09 में व्यापार सभा वाली गली में नाली सुधार व पैच मरम्मत कार्य | 407299 | 386934 | 8146 | 7739 | 407 |
| 16 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, वार्ड नं.-09 में जीवनीमाई मार्ग व रेलवे रोड पर छाया टॉकीज के निकट नाली निर्माण कार्य | 438863 | 416920 | 8777 | 8338 | 439 |
| 17 | 2015-16 | राज्य वित्त | श्री बसंतलाल, वार्ड नं.-06, उत्तरांचल प्रॉपर्टी डीलर से श्रीमती पदमा नेगी, श्री कंडवाल के घर तक नाली सुधार कार्य | 495422 | 470651 | 9908 | 9413 | 495 |
| 18 | 2016-17 | केन्द्र वित्त | श्री के.पी.पोखरियाल, दुर्गा मन्दिर गली नं. 15, शिखर कॉम्प्लेक्स तक नाला निर्माण | 1118488 | 59250 | 11185 | 1185 | 10000 |
| 19 | 2016-17 | अर्धकुम्भ अनुदान | श्री वी.के. कंस्ट्रक्सन, अर्धकुम्भ मेला 2016 के अन्तर्गत ऋषिकेश शहर में शहर के मार्गों का हॉट मिक्स कार्य | 11998988 | 11442200 | 239980 | 228844 | 11136 |
| | | | **कुल योग** | **21932528** | **19971561** | **427465** | **366170** | **61295** |

## भाग दो 'ब'

**प्रस्तर : अतः रू0 119.53 लाख मूल्य के सुधार कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2015 के बिन्दु 13(1) के अनुसार रू0 60.00 लाख तथा उससे अधिक, तक की अनमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जायें।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 13(2) के अनुसार निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाये तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिये।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1358/IV-3/2015-04(69)/2015 दिनांक 23 सितम्बर 2015 के द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेला 2016 के ऋषिकेश की हॉट मिक्स सड़कों का सुधार कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष धनराशि रू0 119.53 लाख के कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0 119.53 लाख व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त सुधार कार्य के अन्तर्गत 13 सड़को का सुधार किया जाना था। उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त पत्रांक के बिन्दु (ix) के अनुसार आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

नगर पालिका परिषद (न0पा0प0) ऋषिकेश के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रू0 119.53 लाख के उपरोक्त सुधार कार्य हेतु न0पा0प0 द्वारा दिनांक 01.10.2015 को मात्र एक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी थी तथा राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट पर उपरोक्त सम्बन्ध में कोई सूचना प्रकाशित नही की गयी थी। जोकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2015 की पूर्ण अवहेलना थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर नगर पालिका परिषद द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में अधिप्राप्ति नियमावली के नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये थी।

अतः रू0 119.53 लाख मूल्य के सुधार कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो "ब"

**प्रस्तर 05:सेवा पुस्तिकाओं का अनियमित रख-रखाव एवं सेवा पुस्तिकाओं में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण।**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश के अधिकारियों/कर्मचारियों की चयनित सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि: -

1. सेवा पुस्तिकाओं में कर्मचारियों की सेवाओं का सक्षम अधिकारी द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था। सेवा पुस्तिकाओं में कर्मचारियों के पारिवारिक विवरण, जी.पी.एफ़. नामांकन, डी.सी.आर.जी. नामांकन, कर्मचारी सामूहिक बीमा नामांकन आदि का अधतन/प्रपत्र संलग्न नहीं किये जा रहे थे। सेवा पुस्तिकाओं में कर्मचारियों की फोटो चस्पा नहीं किए गए थे एवं प्रत्येक पाँच वर्ष में सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के उँगलियों के निशान व हस्ताक्षरों का पुनः सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था। सेवा पुस्तिकाओं में वेतन निर्धारण/पदोन्नति/ए.सी.पी. संबंधी आदेशों की प्रतिलिपियाँ संलग्न नहीं की जा रही थी।

2. जांच की गयी सेवा पुस्तिकाओं में कर्मचारियों के ग्रेड वेतन में वृद्धि की गयी थी परन्तु इस संबंध में कोई भी आदेश चस्पा नहीं किए गए थे। इस संबंध विभागीय स्क्रीनिंग/चयन समिति की अनुशंसा संबंधी एवं निर्गत किए गए कार्यालय आदेशों/शासनादेशों की पत्रावलियों को भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। ग्रेड वेतन में वृद्धि हेतु शासन से कोई पत्राचार/दिशा-निर्देश भी नहीं लिये गए थे। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में अंकित वेतन एवं वेतन विल के अनुसार भुगतान किए जा रहे वेतन में भी अंतर पाया गया था (**विवरण संलग्नक "" पर अंकित है**)।

3. नगर पालिका, ऋषिकेश के स्वास्थ्य अनुभाग के कर्मचारियों की सूची, आगामी पाँच वर्ष में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की सूची एवं स्वास्थ्य अनुभाग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ व व्यक्तिगत पत्रवालियाँ लेखापरीक्षा को जांच हेतु प्रस्तुत ही नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये निम्नवत बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गयी: -

1. सेवा पुस्तिकाओं में कर्मचारियों की सेवाओं के वार्षिक सत्यापन एवं आवश्यक प्रपत्र/आदेशों के संलग्न नहीं किये जाने के संबंध में इकाई द्वारा भविष्य में अनुपालन किए जाने का आश्वासन दिया गया था।

2. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में ग्रेड वेतन में वृद्धि एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में वेतन निर्धारण संबंधी त्रुटियों के संदर्भ इकाई ने बताया कि त्रुटियों का निराकरण कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। ग्रेड वेतन में वृद्धि हेतु शासन से कोई पत्राचार/दिशा निर्देश नहीं लिये गए थे।

3. बी. एल. ओ. ड्यूटी के कारण स्वास्थ्य अनुभाग के समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सेवा पुस्तिकाओं में कार्यालय आदेशों/शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ संलग्न न किए जाने एवं संबन्धित पत्रावलियों को जांच हेतु प्रस्तुत न किए जाने से कर्मचारियों की देयताओं का निर्धारण/आंकलन किया जाना संभव नहीं ,जिसका प्रभाव भविष्य की सेवा संबंधी आंकलनों पर भी पड़ना अवश्यम्भावी होगा।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

## नगर पा लका परिषद, ऋ षकेश, जनपद - देहरादून के अ धकारी/कर्मचारियों की जांच की गयी सेवा पुस्तिकाओं की सूची

| क्रमांक | नाम (सर्व श्री/श्रीमती ) | पदनाम | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | सुरेश प्रसाद रजत | माली (चपरासी) | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 2. | शंभू प्रसाद भट्ट | अनुसेवक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 3. | भगवत प्रसाद बहुगुणा | चपरासी | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 4. | सरोजनी देवी भट्ट | चपरासी | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 5. | शव संह राणा | चपरासी | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 6. | आशाराम भट्ट | चपरासी | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 7. | शंभू प्रसाद कोठारी | चपरासी | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 8. | रणवीर संह | चपरासी | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 9. | सुनील कुमार गौड़ | चपरासी | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 10. | अजय कुमार | चपरासी | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 1900/- के स्थान पर 2000/- प्रदत्त कया गया है। |
| 11. | सुशील कुमार | चालक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 1900/- के स्थान पर 2000/- प्रदत्त कया गया है। |
| 12. | संजय कुमार | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 13. | प्रमोद कुमार | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 14. | दिनेश कुमार उनियाल | ल पक | 21/07/15 से ग्रेड वेतन 4200/- के स्थान पर 4600/- प्रदत्त कया गया है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | मंजू चौहान | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 4200/- के स्थान पर 4600/- प्रदत्त कया गया है। |
| 16. | वेद प्रकाश | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 17. | ल लत मोहन शर्मा | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 18. | ज्योति प्रसाद उनियाल | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 19. | हेमंत गुप्ता | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 20. | दीपक सेमवाल | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 21. | वनोद कुमार त्यागी | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 22. | राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 23. | राजेंद्र कुमार गर्ग | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2800/- के स्थान पर 4200/- प्रदत्त कया गया है। |
| 24. | मगन पोखरियाल | ल पक | 12/06/15 से ग्रेड वेतन 2400/- के स्थान पर 2800/- प्रदत्त कया गया है। |
| 25. | लक्ष्मी भट्ट | परिचारिका | 01/01/2017 को अनुमन्य वा षक वेतन वृद् ध प्रदत्त नहीं की गयी थी। |
| 26. | मगन पोखरियाल | ल पक | सेवा पुस्तिका में 01/07/16 से वेतन 9300/- + ग्रेड वेतन 2800 दर्शाया गया है जब क वेतन बिल के अनुसार मार्च 2017 तक भुगतान 8940/- + 2800/- के अनुसार कया गया था। |
| 27. | निशांत अंसारी | कर अधीक्षक | 01/01/2017 को अनुमन्य वा षक वेतन वृद् ध की प्र वष्टिया सेवा पुस्तिका में नहीं की गयी थी। |
| 28. | सुमन | राजस्व निरीक्षक | सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण/वा षक वेतन वृद् ध संबंधी कोई भी प्र वष्टि नहीं की गयी थी। |

## भाग दो "ब"

**प्रस्तर 06:** निष्प्रयोज्य सामग्री एवं वाहनों का निस्तारण/नीलामी न कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका (भाग -V) के अध्याय -XII में भंडार अ धप्राप्ति, भंडार का लेखांकन एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण की प्र क्रया को व र्णत कया गया है, जिसके अनुसार जब भी स्टॉक में उपलब्ध भंडार सामग्री/टूल्स & प्लांट्स (वाहन सहित) आवश्यकता से अ धक हो या अनुप्रयोज्य हो या भ वष्य में उपयोग कए जाने योग्य नहीं रह गया हो, ऐसा प्रकरण अ वलंब प्रा धकृत अ धकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए जो क उक्त सामग्री/भंडार की भौतिक परीक्षण की व्यवस्था करवाकर निष्प्रयोज्य/नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित करवाएगा।

नगर पा लका परिषद ऋ षकेश, जनपद देहरादून के प्रांगण में काफी मात्रा में निष्प्रयोज्य वाहन एवं सामग्री पड़ी हुयी थी।आगे इकाई के भंडार संबंधी अ भलेखों की जांच में पाया गया क निम्नां कत वाहन/ भंडार सामग्री लंबे समय से निष्प्रयोज्य पड़े हुये थेजिनकी नियमानुसार कार्यवाही कर नीलामी कया जाना अपे क्षत था।

सारणी "अ

| क्र॰ | वाहन का प्रकार | वाहन संख्या | क्रय ति थ | क्रय मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बोलेरों जीप GLX | UA07 R0393 | 25/01/2001 | 516087.00 |
| 2. | ट्रेक्टर मैस्सी | UP07 C 8223 | 26/12/1998 | 224550.00 |
| 3. | लोडर एस्कोर्ट्स | -- | 25/12/2005 | 1014165.00 |
| 4. | टेम्पो/KAL | UK07 CC 0094 | 12/06/2006 | 214800.00 |
| 5. | टेम्पो/KAL | UK07 CC 0095 | 12/06/2006 | 214800.00 |

सारणी ब

| क्र॰ | निष्प्रयोज्य सामग्री का नाम | मात्रा | क्र॰ | निष्प्रयोज्य सामग्री का नाम | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कंडम लोहे के कंटेनर्स (डस्टबिन) | 50 | 25 | कंडम कम्प्यूटर की बोर्ड/माऊस | 15 |
| 2 | कंडम हाथ ठेली | 100 | 26 | कंडम मरम्मत सामग्री स्को र्पओ/बोलेरों/अन्य वाहन | 1 Pkg |
| 3 | कंडम लोहे के कैरियर | 2 | 27 | कंडम टायर | 30 |
| 4 | कंडम रिक्शा रेहड़ी | 50 | 28 | कंडम लकड़ी के दरवाजे/पल्ले | 10 |
| 5 | ट्रक के कंडम बाड़ी ढक्कन | 02 | 29 | कंडम सो डयम चोक 250 W | 250 |
| 6 | कंडम ट्रॉली | 01 | 30 | कंडम सो डयम चोक 150 W | 407 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | कंडम लोहे की कुर्सी | 08 | 31 | कंडम सो डयम चोक 70 W | 272 |
| 8 | कंडम लोहे के बेंच | 01 | 32 | कंडम ट्यूब लाइट 40 w | 865 |
| 9 | कंडम प्रकाश पोल | 04 | 33 | कंडम जूनों लाइट | 15 |
| 10 | कंडम लोहे के गेट (प्रवेश द्वार) | 02 | 34 | कंडम सो डयम बल्ब 400/250/150/70 वाट | 850 |
| 11 | कंडम जे सी बी दांत | 1 Pkg | 35 | कंडम सी लंग फेन | 03 |
| 12 | कंडम स्टीप पम्प | 15 | 36 | कंडम चोक 40 वाट | 12 |
| 13 | कंडम जूनों लाइट्स | 03 | 37 | कंडम इग्नाइटर 250/150/70 w | 885 |
| 14 | कंडम कूलर | 01 | 38 | कंडम कंडेंसर 250/150/70 w | 800 |
| 15 | कंडम फोटो स्टेट मशीन | 01 | 39 | कंडम होल्डर 250/150/70 W | 100 |
| 16 | कंडम फो गंग मशीन | 14 | 40 | कंडम मेन स्वीच 400 एंपी॰ | 12 |
| 17 | कंडम स्प्रे मशीन (नेपशेक) | 15 | 41 | कंडम मेन स्वीच 200 एंपी॰ | 8 |
| 18 | कंडम लकड़ी के मेज व कुर्सी | 04 | 42 | कंडम मेन स्वीच 100 एंपी॰ | 10 |
| 19 | कंडम लोहे की कुर्सी | 08 | 43 | कंडम ट्यूब स्टार्टर 40 W | 55 |
| 20 | कंडम कंप्यूटर मोनिटर | 15 | 44 | कंडम सो डयम फक्चर्स 250 W | 150 |
| 21 | कंडम कम्प्यूटर प्रंटर | 02 | 54 | कंडम सो डयम फक्चर्स 150 W | 50 |
| 22 | कंडम कम्प्यूटर सी पी यू | 15 | 46 | कंडम सो डयम फक्चर्स 70 W | 10 |
| 23 | कंडम कम्प्यूटर यू पी एस | 15 | 47 | कंडम सो डयम फक्चर्स 40 W | 90 |
| 24 | ट्रे फक लाइट | 06 | 48 | लोहे की व भन्न निष्प्रयोज्य सामग्री | 15 Qtls (Appx ) |

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर उपरोक्त के संबंध में इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया क उक्त की नीलामी की कार्यवाही गतिमान है तथा नीलामी से प्राप्त धनरा श कोष में जमा की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क लम्बे समय से भंडार सामग्री/टूल्स & प्लांट्स (वाहन सहित) सामग्री के निष्प्रयोज्य रहने के उपरांत भी नीलामी की कार्यवाही नहीं की गयी थी जो क वभागीय श थलता को दर्शाता है। उक्त सामग्री के लम्बे समय तक पड़े रहने से सामग्री के निरंतर ह्रास होने के साथ-साथ भंडारण हेतु जगह की समस्या भी बनी रहती है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

**(क) परिचयात्मक** : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, जनपद- देहरादून** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2014-15** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **16 अक्टूबर 2017** से **26 अक्टूबर 2017** तक संपादित की गयी |

**(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण**:-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या | STAN प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|---|
| स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-558/2014-15 | भाग 4(ब)-I – प्रस्तर संख्या 01 | भाग 4(ब)-II – प्रस्तर संख्या 01 | शून्य |

**(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**:-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-558/2014-15 | -- | इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई | इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका | |

## भाग – IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

## भाग – V
## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेष, जनपद- देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-
   अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरणः भाग के प्रस्तर संख्या 01 के अनुसार।

2. सतत अनियमितताएँ**:**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

| **क्रं.सं.** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 01. | श्री बी.एल. आर्य | अधिशासी अधिकारी | 24.02.2014 से 16.06.15 तक |
| 02. | श्री विजय पी.एस.चौहान | अधिशासी अधिकारी | 17.06.2015 से 17.05.17 तक |
| 03. | श्री महेन्द्र कुमार यादव | अधिशासी अधिकारी | 17.05.13 से वर्तमान तक |
| 04. | श्री दीप शर्मा | अध्यक्ष | 04.05.13 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ऋषिकेष, जनपद- देहरादून** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/25 दिनांकित 21.09.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाय |

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय**